

निबंधन एवं शर्तें :-

सभी चालू (ओवर ड्राफ्ट खाते सहित), बचत तथा सावधि जमा खातों के लिए सेवाओं सम्बन्धी निबंधन एवं शर्तें तथा नियम।

इस दस्तावेज में भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (जिसे आगे बैंक कहा गया है) की किसी एक या एक से अधिक शाखाओं में सभी मौजूदा, नए या भावी चालू (ओवर ड्राफ्ट सहित) खातों, बचत खातों तथा सावधि जमा खातों, (जिन्हें सामूहिक रूप से उक्त खातों कहा गया है) पर लागू सेवाओं की निबंधन एवं शर्तें तथा नियम दिए गए हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। 'खाता' शब्द का अभिप्राय बैंक में एक नाम या संयुक्त नाम से रखे जाने वाले या चलाए जाने वाले या लेनदेन किए जाने वाले इस समय और भविष्य में मौजूद सभी खातों (किसी परिवर्तित या संशोधित रूप सहित परन्तु ऐसे किसी रूप तक सीमित नहीं), (किसी भी रूप में सामान्य बैंक सेवाओं तथा किसी भी तरह के बैंक या वित्तीय सम्बन्ध सहित परन्तु ऐसी सेवाओं और सम्बन्ध तक सीमित नहीं) से है। 'ग्राहक' शब्द का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिनके नाम से बैंक में उक्त खाते खोले गए हैं और अभी या भविष्य में कभी भी खोले (बदले) जा सकते हैं। 'ग्राहक' शब्द में (संयुक्त खाता धारकों, निजी और सामूहिक उल्लेख किए जाने के प्रयोजन से) एक और एक से अधिक व्यक्ति शामिल है। इसके बाद आगे 'ग्राहक' शब्द का इस्तेमाल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाएगा और सुविधा की दृष्टि से 'ग्राहक' शब्द का उल्लेख पुल्लिंग के रूप में किया जा रहा है।

'बंध-पत्र' शब्द से अभिप्राय चेक ड्राफ्ट पे-आर्डर आदि से है।

अनिवासी भारतीय / विदेशी कम्पनी निकायों / भारतीय मूल के लोगों के खातों के मामले में, बैंक, अपने निर्णय को ध्यान में रखते हुए और भारतीय कानूनों के तहत अनुमति के अनुसार इस दस्तावेज में विहित किसी भी बात को, जैसा भी बैंक उचित समझे, लागू करने या न करने, उनमें संशोधन करने, कुछ जोड़ने, आशोधन करने के लिए स्वतन्त्र है।

ग्राहक इस समय यथा मौजूद निबंधन एवं शर्तों तथा किसी भी समय उनमें किए जाने वाले परिवर्तनों, अशोधनों तथा अनुशेषों का पालन करने और उनसे बाध्य होने पर सहमत है, और इस बात को स्वीकार करता है कि इस दस्तावेज में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तें कानूनतः अथवा अन्यथा ऐसे किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगी जो बैंक को खाते के सम्बन्ध में प्राप्त होगा। निबंधन एवं शर्तों को स्वतन्त्र दस्तावेज के रूप में या ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ भी पढ़ा जा सकता है जो किसी विशेष खाते/स्थिति/परिस्थिति या लेनदेन के लिए लागू हों। खाता धारक खाते के संचालन से सम्बन्धी बैंक के नियमों तथा फोन बैंकिंग, नियमों और विनियमों को स्वीकार करेंगे। ए.टी.एम./डेबिट कार्ड, डोर स्टेप बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग (इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग) सुविधाओं सम्बन्धी नियमों और विनियमों को स्वीकार करेंगे और उनका /समय-समय पर यथा लागू अन्य नियमों एवं विनियमों का पालन करेंगे।

खातों की किस्म

जमा खाता, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने नाम (इसे एक नाम से खोला गया खाता कहा जाएगा) से या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने नामों (इसे संयुक्त नामों से खोला गया खाता कहा जाएगा) से खोला जा सकता है।

बचत बैंक खाता अवयस्क द्वारा नैसर्गिक अभिभावक के साथ या अभिभावक के रूप में माता के साथ संयुक्त नाम से भी खोला जा सकता है। (इसे अवयस्क के नाम से खोला गया खाता कहा जाएगा), संयुक्त खाते का इस्तेमाल- एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा खोले गए संयुक्त खाते का इस्तेमाल एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सकता है। इस खाते के इस्तेमाल के अधिकार में सभी खाता धारकों की सहमति से परिवर्तन किया जा सकता है। अवयस्क द्वारा नैसर्गिक अभिभावक / अभिभावक के साथ संयुक्त नाम से खोले गए खाते का इस्तेमाल केवल नैसर्गिक अभिभावक द्वारा ही किया जा सकता है।

संयुक्त खाता धारक उक्त खातों में शेष बची राशि के भुगतान हेतु निम्नलिखित में से कोई भी व्यवस्था चुन सकते हैं :-

१. दोनों में से एक या उत्तरजीवी : यदि दो अलग-अलग व्यक्तियों अर्थात् 'क' और 'ख' के नाम से खाता है तो अंतिम शेष राशि और ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान, खाता धारकों में से किसी की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी व्यक्ति को किया जाएगा।

२. कोई भी एक या उत्तरजीवी : यदि दो से अधिक व्यक्तियों अर्थात् 'क', 'ख' और 'ग' के नाम से खाता है तो अंतिम राशि और ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान किन्हीं भी दो खाता धारकों की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी व्यक्ति को किया जाएगा।

आप उक्त खाते नामांकन सुविधा के साथ या नामांकन किए बिना खोल सकते हैं।

नामांकन सुविधा:-

नामांकन सुविधा व्यक्तियों द्वारा खोले जाने वाले सभी जमा खातों के लिए उपलब्ध है। नामांकन सुविधा पूर्णतः स्वामित्व वाले व्यापार खाते के लिए भी उपलब्ध है। नामांकन सुविधा केवल एक व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध है। नामांकन में केवल एक व्यक्ति का नाम दिया जा सकता है। खाता धारक किसी भी समय उक्त नामांकन को रद्द या इसमें परिवर्तन कर सकता है। नामांकन करते समय, उसे रद्द या उसमें परिवर्तन करते समय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साक्ष्य के रूप में उपस्थित होना आवश्यक है। खाता धारक/धारकों की सहमति से नामांकन में परिवर्तन किया जा सकता है। नामांकन किसी अवयस्क के नाम भी किया जा सकता है। बैंक चाहता है कि सभी जमाकर्ता नामांकन सुविधा का इस्तेमाल करें। जमाकर्ता नामांकन सुविधा का इस्तेमाल करें। जमाकर्ता की मृत्यु होने पर खाते में बकाया शेष राशि कर्नली उत्तराधिकारियों के न्यासी के रूप में नामित व्यक्ति को मिलेगी।

9 खाता सम्बन्धी नियम :-

9.1 चालू खाता :-

9.1.1 खाता कैसे खोले :- चालू खाता, व्यक्तियों, हिन्दु संयुक्त परिवारों, एकमात्र स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों, साझेदारी फर्मों, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, एसोसिएशनों, क्लबों, सोसायटियों, न्यासों या अन्य संस्थानों द्वारा अपना ऐसा परिचय दिए जाने पर खोला जा सकता है जिससे बैंक संतुष्ट हो और जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय जारी नीतिगत/अपने ग्राहक को जाने (के बाईं सी) सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप हो। साथ ही ऐसा बैंक के विशिष्ट विवेक पर होगा।

चालू खाता अकेले के नाम से या एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्त नाम से खोले गए चालू खाते का इस्तेमाल बैंक को दिए गए आदेश के अनुसार संयुक्त रूप से या अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। व्यक्तियों द्वारा खोले गए खातों के मामले में ऐसा आदेश उत्तरजीवियों के लिए भी मान्य होगा। खाता धारक, बैंक के विशिष्ट विवेक पर, पॉवर ऑफ अटॉर्नी देकर अपनी ओर से खाते का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्तियों को अधिकार भी दे सकता है।

हस्ताक्षरकर्ताओं में या चालू खाते के इस्तेमाल सम्बन्धी आदेश में परिवर्तन का अनुरोध, सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर से उन सभी दस्तावेजों के साथ लिखित में किया जाना आवश्यक है जो बैंक ने अपने विशिष्ट विवेक से निर्धारित किए हैं। जब तक बैंक द्वारा उक्त अनुरोध प्राप्त होने की पावती न दे दी जाए, इसे, बैंक को अनुरोध विधिवत रूप से प्राप्त नहीं हुआ कहा जाएगा।

चालू खाता धारक, ऐसी किसी भी क्रेडिट सुविधा के ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जो वह किसी अन्य एक या एक से अधिक बैंक से ले रहा हो।

चालू खाता धारक इस बात से सहमत है कि बैंक, अपने विशिष्ट विवेक पर, ऐसी शर्तों के तहत बैंक में चालू खाता खोलने की अनुमति दे सकता है जो बैंक निर्धारित करे।

9.1.2 आहरण एवं ब्याज

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार चालू खाते में रखी धन राशियों पर ब्याज नहीं देगा।

चालू खाते से जमा से अधिक पैसा नहीं निकाला जाना चाहिए। किसी भी बंध-पत्र को तब तक किसी अन्य बंध-पत्र के नकदीकरण की प्रत्याशा में या ऐसे किसी बंध-पत्र के तहत चालू खाते से जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसका अभी समाशोधन नहीं हुआ है जब तक कि बैंक में पहले से इस आशय की लिखित सहमति न दी गई हो। यदि किसी बंध-पत्र को किसी अन्य बंध-पत्र के नकदीकरण की प्रत्याशा में या ऐसे किसी बंध पत्र के तहत जारी किया जाता है जिसका समाशोधन नहीं हुआ है तो बैंक ऐसे बंध पत्र को स्वीकार (हालांकि बैंक इसके लिए बाध्य नहीं है) कर सकता है और ऐसी स्थिति में बैंक, अपने विशिष्ट विवेक पर दण्डस्वरूप ब्याज लगा सकता है। वाणिज्यिक दर पर ब्याज ले सकता है और इसे ओवर ड्राफ्ट मान सकता है।

ग्राहक, मांग पर तथा बिना किसी शर्त के बैंक को ओवर ड्राफ्ट की ऐसी राशियों का उन पर प्रोदभूत ब्याज सहित भुगतान करेगा जो बैंक समय-समय पर खाते में डालेगा। इसे स्पष्ट या निहित करार नहीं माना जाना चाहिए कि बैंक किसी भी प्रकार की ओवर ड्राफ्ट सुविधा देने के लिए बाध्य है। बैंक को किसी भी ग्राहक के ओवर ड्राफ्ट सम्बन्धी किसी भी अनुरोध को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

जमा से अधिक पैसा निकाले जाने वाले खातों के विषय में दैनिक बकाया (शेष) के आधार पर प्रचलित दर से ब्याज लिया जाएगा।

जब तक कि पहले से बैंक से कोई लिखित सहमति न हो तो बैंक चालू खाते से जारी किसी भी बंध पत्र को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है यदि उस बंध पत्र को जारी करने से चालू खाते से जमा से अधिक पैसा निकालने की स्थिति पैदा हो गई हो और इस स्थिति में बैंक को ऐसे लौटाए गए प्रत्येक बंध पत्र के प्रभार को उस चालू खाते के नाम डाले जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

नकद पैसा केवल बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए मुद्रित चेक फार्मों से या ए.टी.एम. के जरिए ही निकाला जाना चाहिए।

२००७ के वित्त विधेयक के अनुसार, जून २००७ से आपके चालू खाते के लेनदेन में निम्नलिखित प्रभार लागू होंगे :-

किसी एकल खाते (बचत खातों को छोड़कर) से किसी एक दिन निम्नलिखित राशि से अधिक नकद आहरण (चेक/काउन्टर चेक से लाजिस्टक्स/हमारे बैंक ए.टी.एम./डेबिटकार्ड/ किसी अन्य बैंक के ए.टी.एम. से और पो.ओ.एस. नकद अग्रिम से)

- ५०,०००/- रु० (व्यक्तियों/हिन्दु संयुक्त परिवारों के मामले में)

- १००,०००/- रु० (अन्य किसी भी निकाय के मामले में)

इसके लिए डेबिट खाते से कर देय होगा।

२. निम्नलिखित राशि से अधिक एक या एक से अधिक सावधि जमा राशियों (भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा) की परिपक्वता अवधि से पहले (ब्रेक करके)/परिपक्वता पर भुगतान की नकद प्राप्ति।

- ५०,०००/- रु० (व्यक्तियों/संयुक्त हिन्दु परिवारों के मामले में)

- १००,०००/- रु० (अन्य किसी भी निकाय के मामले में)

परिभाषाएँ

कर की दर, आहरित नकद या सावधि जमा राशियों के नकदीकरण पर प्राप्त राशि का ०.१ प्रतिशत होगी।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालयों या प्रतिष्ठानों को व्यक्ति की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। अतः इन निकायों से नकद लेनदेन पर कोई कर नहीं लिया जाएगा।

बैंक, अपने विशिष्ट विवेक पर, खाते का अनियमित/अनुचित इस्तेमाल किए जाने पर चालू खाते को बंद कर सकता है, जिसमें निर्धारित न्यूनतम शेष न रखना, निधियों की कमी के कारण बार-बार चेकों को लौटाया जाना आदि शामिल होंगे परन्तु ऐसा केवल उक्त व्यवहार तक सीमित नहीं होगा।

9.2 बचत खाता :-

9.2.1. बचत खाते कैसे खोले :-

बचत खाता, व्यक्तियों, गैर लाभकारी न्यासों/एसोसिएशनों/क्लबों तथा हिन्दु संयुक्त परिवारों द्वारा समुचित रूप से अपना ऐसा परिचय दिए जाने पर खोला जा सकता है जो बैंक द्वारा मान्य हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नीतिगत/अपने ग्राहक को जाने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों और बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

बचत खाता, अकेले के नाम से या एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्त नाम से खोले गए बचत खाते का इस्तेमाल, बैंक को आदेश दिए अनुसार संयुक्त रूप से या अकेले किया जा सकता है। तय की गई यह व्यवस्था व्यक्तियों के खाते के मामले में उत्तर जीवी /उत्तर जीवियों पर भी लागू होगी। खाता धारक, बैंक के विशिष्ट विवेक पर, पॉवर ऑफ अटॉर्नी देकर अपनी ओर से खाते का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्तियों को अधिकार भी दे सकता है। बचत खाता केवल बचत के प्रयोजन से खोला जा सकता है न कि व्यापार लेनदेन/व्यावसायिक/लाभ कमाने के प्रयोजन से।

हिन्दु संयुक्त परिवार के नाम से खोले गए बचत खाते का इस्तेमाल, हिन्दु संयुक्त परिवार के सभी सहभागियों द्वारा लिखित में चुने गए कर्ता द्वारा ही किया जा सकता है। बैंक, केवल हिन्दु संयुक्त परिवार द्वारा चुने गए पुरुषकर्ता के साथ ही लेनदेन करेगा।

हस्ताक्षरकर्ताओं में या बचत खाते के इस्तेमाल सम्बन्धी आदेश में परिवर्तन का अनुरोध, सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर से उन सभी दस्तावेजों के साथ लिखित में किया जाना आवश्यक है जो बैंक ने अपने विशिष्ट विवेक से निर्धारित किए हैं। जब तक बैंक द्वारा उक्त अनुरोध प्राप्त होने की पावती न दे दी जाए, इसे, बैंक को अनुरोध विधिवत रूप से प्राप्त नहीं हुआ कहा जाएगा।

खाता, अवयस्क ओर से उसके नैसर्गिक अभिभावक या सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।

9.2.2 आहरण एवं ब्याज :-

प्रत्येक छः माह की अवधि में ५० बार से अधिक या उस संख्या से अधिक बार पैसा नहीं निकाला जाना चाहिए जो बैंक समय-समय पर निर्धारित करे। यदि किसी भी छमाही अवधि में चेकों की निर्धारित संख्या से अधिक चेकों से पैसा निकाला जाता है तो बैंक को सेवा-प्रभार लगाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

व्यक्तियों द्वारा खोले गए बचत खाते के मामले में केवल बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई आहरण स्लिप से और खाता धारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पैसा निकाला जा सकता है।

बचत खाते से जमा से अधिक पैसा नहीं निकाला जाना चाहिए।

किसी भी बंध-पत्र को तब तक किसी अन्य बंध-पत्र के नकदीकरण की प्रत्याशा में या ऐसे किसी बंध-पत्र के तहत बचत खाते से जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसका अभी समाशोधन नहीं हुआ है जब तक कि बैंक में पहले से इस आशय की लिखित सहमति न दी गई हो। यदि किसी बंध-पत्र को किसी अन्य बंध-पत्र के नकदीकरण की प्रत्याशा में या ऐसे किसी बंध पत्र के तहत जारी किया जाता है जिसका समाशोधन नहीं हुआ है तो बैंक खाता धारक द्वारा किसी भी चेक को स्वीकार करने के लिए वाध्य नहीं है यदि ऐसा करने में खाते से जमा से अधिक पैसा निकालने की स्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति में बैंक को, ऐसे लोटाए गए प्रत्येक चेक के लिए खाता धारक के नाम प्रभार डालने और इसे ओवरड्राफ्ट मानने का अधिकार होगा।

बचत खाते पर ब्याज की दर में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। ब्याज की गणना, प्रत्येक कैलेण्डर माह के १०वें तथा अंतिम दिन के बीच अंतिम कारोबार के बाद न्यूनतम जमा शेष के आधार पर की जाएगी। ब्याज का भुगतान तिमाही षेषों के आधार पर या ऐसे किसी षेष के आकार पर किया जाएगा जो बैंक समय-समय पर तय करे।

बैंक, अपने विशिष्ट विवेक पर, बचत खाते का अनियमित/अनुचित इस्तेमाल किए जाने पर उस खाते को बंद कर सकता है, जिसमें निर्धारित न्यूनतम शेष न रखना, निधियों की कमी के कारण बार-बार चेकों को लौटाया जाना आदि शामिल होंगे परन्तु ऐसा केवल उक्त व्यवहार तक सीमित नहीं होगा।

9.3. सावधि जमा खाता :- बैंक निश्चित अवधियों के लिए जमा स्वीकार करता है। विभिन्न अवधियों, ब्याज की वर्तमान दर तथा जमा की न्यूनतम राशि के ब्यौरे अनुरोध पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

इस स्कीम के तहत प्राप्त जमा राशियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और इनका भुगतान परिपक्वता अवधि पूरी होने पर ही किया जाएगा।

ब्याज की दर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों तथा साथ ही बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार होगी। बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए अनुसार निर्धारित मूल्य के बजाय अलग दरों का प्रस्ताव करने का अधिकार होगा।

जमा राशियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार स्वीकार की जाती हैं। निबंधन एवं शर्तों में, उक्त निर्देशों के अनुसरण में फेर-बदल किया जा सकता है और ये शर्तें, जमाकर्ताओं पर लागू होगी चाहे उसे/उन्हें इनका नोटिस दिया गया हो या नहीं।

आयकर अधिनियम के उपबन्धों के सन्दर्भ में, जमा राशियों (यदि किसी ग्राहक के नाम राशि तथा उस पर ब्याज की कुल राशि २००००/- ₹० या इससे अधिक हो) का भुगतान 'खाता धारक/धारकों के नाम, खाता धारकको अदा बैंक' या 'खाता धारक को अदा बैंक ड्राफ्ट' या उक्त राशि को बैंक में जमाकर्ता के खाते (यदि कोई हो) में जमा करके किया जाएगा। इस व्यवस्था में आयकर का प्राधिकारियों के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

जमा राशियों को, तब तक परिपक्वता पर देय तारीख को मान्य लागू ब्याज दर पर समाप्त अवधि के लिए स्वतः नवीकृत किया जाता रहेगा जब तक कि जमाकर्ता से बैंक को परिपक्वता तिथि से कम से कम एक कार्य दिवस पूर्व उक्त कार्रवाई न किए जाने के लिखित अनुदेश प्राप्त नहीं होते। पुनः निवेशित जमा राशियों को ब्याज के साथ नवीकृत किया जाएगा जबकि सावधि जमा राशियों के मामले में केवल मूलधन को नवीकृत किया जाएगा। सावधि जमा राशियों पर देय ब्याज को ग्राहक के चालू/बचत खाते में जमा कर दिया जाएगा। उक्त कार्रवाई, नवीकरण के समय लागू भारतीय रिजर्व बैंक की संगत स्कीम/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रावधान के अनुसार होगी।

बैंक को, अपने विवेक पर सावधि जमा राशियों को परिपक्वता अवधि से पहले निकालने की अनुमति देने का अधिकार होगा। बैंक जमाकर्ता के अनुरोध पर सावधि जमा कराने के समय दी गई सहमति के अनुसार जमा राशि की अवधि पूरी होने से पहले सावधि जमा निकालने की अनुमति देगा। परिपक्वता अवधि से पहले निकाली गई ऐसी राशि के लिए दण्डस्वरूप ब्याज, देय ब्याज पर १ प्रतिशत वार्षिक होगा।

एन.आर.ई. सावधि जमा राशियों का परिपक्वता अवधि से पहले निकालकर निवासी विदेशी मुद्रा (आर.एफ.सी.) खाते में बदलवाने के मामले में, बैंक परिपक्वता अवधि से पहले निकाली गई ऐसी राशियों पर कोई दण्ड नहीं लगाएगा। यदि उक्त जमा राशि को कम से कम १ वर्ष नहीं हुआ है तो बैंक, अपने विवेक पर, उस दर से अधिक ब्याज व्र भुगतान नहीं करेगा जो आर.एफ.सी. खाते में रखी गई बचत जमा राशियों पर देय हो, बशर्ते कि उक्त जमा राशि का आर.एफ.सी. खाते में बदलने के लिए एन.आर.ई. खाता धारक द्वारा भारत लौटने पर तत्काल अनुरोध किया गया हो।

परिपक्वता अवधि से पहले एन.आर.ई. जमा राशि को एफ.सी.एन.आर.(बी.) जमा राशि में बदलना और एफ.सी.एन.आर.(बी.) जमा राशि को एन.आर.ई. जमा राशि में बदलना, परिपक्वता अवधि से पहले राशि निकाले जाने से सम्बन्धित दण्डात्मक उपबन्धों के अधधीन होगा।

एन.आर.एन.आर./एन.आर.एस.आर. जमा राशि को परिपक्वता से पहले एन आर ओ जमा में बदलना, परिपक्वता अवधि से पहले जमा राशि निकालते संबंधी दण्डात्मक उपबन्धों के अधधीन होगा।

१ अप्रैल, २००२ से एन.आर.एन.आर./एन.आर.एस.आर. स्कीमों को बंद किए जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिपक्वता अवधि पूरी होने पर एन.आर.एस.आर. खातों की प्राप्तियों को एन.आर.ई. खाते में जमा किया जाएगा न कि एफ.सी.एन.आर.(बी.)खाते में, जब परिपक्वता अवधि पूरी होने पर एन.आर.एस.आर. खाते की प्राप्तियों को केवल एन.आर.ओ. खाते में जमा किया जाएगा। एन.आर.एस.आर./एन.आर.एन.आर. जमा राशियों के परिपक्वता अवधि से पहले निकालने के मामले में प्राप्तियों को केवल एन.आर.ओ. खाते में जमा किया जाएगा।

परिपक्वता अवधि से पहले निकाली गई निवासी / एन.आर.ओ. सावधि जमा राशि तथा एन.आर.ई./एफ.सी.एन.आर. जमा राशि पर ब्याज का भुगतान, उक्त जमा राशि डालने की तारीख को प्रचलित दर पर या संविदाशुदा दर, जो भी कम हो, पर उस अवधि के लिए किया जाएगा जब तक उक्त जमा राशि सावधि खाते में रखी गई हो और इस पर १ प्रतिशत की दण्डस्वरूप कटौती की जा सकती है। यदि अदा किया जा चुका ब्याज देय ब्याज से अधिक हो तो उस अदा अधिक ब्याज की वसूली उक्त जमा राशि की प्राप्तियों से की जाएगी। तथापि यदि एन.आर.ई./एफ.सी.एन.आर. जमा राशियों को उनके जमा कराने या नवीकरण कराए जाने की तिथि से एक वर्ष पूरा होने से पहले निकाला जाता है तो किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

तथापि, बैंक, अपने विवेक पर, व्यक्तियों तथा हिन्दु संयुक्त परिवारों को छोड़कर निष्कायों के नाम बड़ी जमा राशियों को परिपक्वता अवधि से पहले निकालने के लिए मना भी कर सकता है। परिपक्वता अवधि से पहले निकाले जाने वाली ऐसी जमा राशियों के लिए सभी संयुक्त खाता धारकों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है बशर्ते कि खाता/जमा राशि धारकों द्वारा पहले से लिखित में अन्यथा कोई अधिकार न दिया गया हो। बैंक, खाता/जमा राशि धारकों को निवासी /एन.आर.ओ. सावधि जमा राशि को परिपक्वता अवधि से पहले निकालने की अनुमति तभी देगा जब पहले अदा किए जा चुके ब्याज को वसूली ऐसे निवासी/एन.आर.ओ. सावधि जमा, जैसा भी मामला हो, की प्राप्तियों से की जानी हो।

यदि १ अप्रैल, से ३१ मार्च की वित्तीय अवधि के दौरान ग्राहक की सभी निवासी सावधि जमा राशियों से ब्याज की कुल कमाई, राशि को निर्धारित मूल (श्रेषहोल्ड) राशि से अधिक हो तो बैंक उससे कर की कटौती करेगा। भारत सरकार इन मूल राशियों में परिवर्तन कर सकती है। उस स्थिति को छोड़कर कर की कटौती भुगतान आधार पर होगी, जब ३१ मार्च को यह कटौती प्रोदभूत आधार पर होती है। आय से कर की कटौती की दर लागू /भासी कानूनों के अनुसार होगी। बैंक द्वारा एक बार कर में कटौती कर लिए जाने के बाद इसे वापिस नहीं किया जाएगा और आय से कटौती के कारण अपेक्षित रिफण्ड लेना पूर्णतः ग्राहक की जिम्मेदारी होगी।

बैंक को चालू/बचत खाते के इस्तेमाल के सम्बन्ध में हस्ताक्षर के तहत आदेश के अनुसार जमा राशि को परिपक्वता अवधि से पहले या अन्यथा भुनाने का अधिकार होगा।

आवर्ती जमा किरतों का भुगतान सम्मत तिथि को या उससे पहले नियमित रूप से किया जाना चाहिए और किसी माह के दौरान कोई किरत बकाया नहीं होनी चाहिए। यदि सहमति से कोई तिथि तय नहीं है तो, उस कैलेंडर माह की अंतिम तिथि को भुगतान तिथि माना जाएगा।

जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक, किसी सावधि जमा को बदलने की अनुमति देगा ताकि जमाकर्ता उसी बैंक में उक्त सावधि जमा में रखी राशि को तत्काल किसी अन्य सावधि जमा में निवेश कर सके। बैंक उक्त उल्लिखित परिपक्वता अवधि से पहले जमा राशि निकालने सम्बन्धी खण्ड में यथा उल्लिखित दर से ऐसी सावधि जमा राशियों पर ब्याज का भुगतान करेगा और इसके लिए बैंक उक्त पैरा में यथा उल्लिखित दण्डस्वरूप ब्याज कम नहीं करेगा बशर्ते कि उक्त जमा राशि, मूल संविदा की शेष अवधि से अधिक समय के लिए पुनः निवेश करने के बाद बैंक के पास रहे।

आवर्ती जमा स्कीम के तहत मासिक किरतों के भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, बैंक, अपने विशिष्ट विवेक पर, जमाकर्ता को नोटिस देकर या नोटिस दिए बिना दण्ड लगा सकता है या खाते को बंद कर सकता है और शेष राशि को ऐसे किसी खाते में अन्तरित कर सकता है जिस पर ब्याज नहीं मिलेगा। बैंक को, अपने विशिष्ट विवेक पर, उक्त लगाए गए दण्ड में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

खाता, अवयस्क की ओर से उसके नैसर्गिक अभिभावक द्वारा या सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।

अवयस्क व्यक्ति के वयस्क होने पर अभिभावक का खाता इस्तेमाल करने का अधिकार, अभी तक के उस अवयस्क व्यक्ति का अधिकार माना जाएगा जो अब वयस्क हो गया है। उक्त अवयस्क व्यक्ति को वयस्क के रूप में लिखित में खाते का इस्तेमाल स्वीकार करने/इस्तेमाल करने का विकल्प देना चाहिए।

परिपक्व जमा राशियों की प्राप्ति का भुगतान पे आर्डर के रूप में जमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया जाएगा या उनके कहने पर इन्हें उनके खातों में जमा कर दिया जाएगा या खाता खोलने के फार्म में किए गए उनके अनुरोध के अनुसार कोरियर से उनके पते पर भेज दिया जाएगा। यदि भुगतान को कोरियर से भेजने का अनुरोध किया गया है तो बैंक किसी भी विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उस विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऐसी सभी निवासी/एन.आर.ओ. सावधि जमा राशियों, जिन्हें उनकी सम्बन्धित परिपक्वता तिथि को या उसके बाद (अति देय जमा राशियां) नवीकृत नहीं किया गया है या निकाला नहीं गया है, पर परिपक्वता अवधि के बाद से जमा राशि को निकालने की तारीख तक की अवधि के लिए नीचे उल्लिखित लागू ब्याज दर से ब्याज देय होगा। लागू ब्याज दर परिपक्वता पर जमा राशि को निकालने के समय प्रचलित निवासी/एन.आर.ओ. बचत बैंक दर या जमा राशि की परिपक्वता तिथि को निवासी/एन.आर.ओ. बचत बैंक दर, जो भी कम हो, होगी।

ऐसी सभी एन.आर.ई. सावधि जमा राशियों, जिन्हें उनकी सम्बन्धित परिपक्वता तिथि को या उसके बाद (अति देय जमा राशियां) नवीकृत नहीं किया गया है या निकाला नहीं गया है, पर परिपक्वता अवधि के बाद से जमा राशि को निकालने की तारीख तक की अवधि के लिए नीचे उल्लिखित लागू ब्याज दर से ब्याज देय होगा। लागू ब्याज दर परिपक्वता पर जमा राशि को निकालने के समय प्रचलित एन.आर.ई. बचत बैंक दर या जमा राशि की परिपक्वता तिथि को एन.आर.ई. बचत बैंक दर, जो भी कम हो, होगी।

ऐसी सभी एन.आर.ई. सावधि जमा राशियों, जिन्हें उनकी सम्बन्धित परिपक्वता तिथि को या उसके बाद (अति देय जमा राशियां) नवीकृत नहीं किया गया है या निकाला नहीं गया है, पर जमा राशि भुनाने के समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर ब्याज देय होगा।

मृतक के सावधि जमा खाते में देयताओं का भुगतान :-

i) यदि जमाकर्ता ने बैंक में पंजीकृत नामांकन किया है;- मृतक जमाकर्ता के खाते में शेष बकाया राशि, नामित व्यक्ति की पहचान आदि के बारे में बैंक को सन्तुष्टि होने पर उस नामित व्यक्ति के खाते में अन्तरित कर दी जाएगी/उसे अदा कर दी जायेगी।

ii) उक्त पद्धति का पालन ऐसे संयुक्त खाते के मामले में भी किया जाएगा जब बैंक में उस खाते के सम्बन्ध में नामांकन पंजीकृत हो।

iii) संयुक्त सावधि जमा खाते के मामले में यदि संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक को मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों तथा जीवित जमा कर्ताओं को संयुक्त रूप से भुगतान करना होगा। तथापि यदि संयुक्त खाता धारकों ने खातों में 'शेष राशि के भुगतान का आदेश, 'दोनों, में से एक या उत्तरजीवी, पूर्वतर / पश्चतर या उत्तरजीवी, उत्तरजीवियों में से किसी एक को या उत्तरजीवी को' आदि, के लिए दिया है तो भुगतान उक्त आदेश के अनुसार किया जाएगा ताकि मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा कानूनी कागजात पेश करने में विलम्ब से बचा जा सके।

iv) यदि कोई नामांकन नहीं किया गया है और दावेदारों में कोई विवाद नहीं है तो बैंक, सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संयुक्त आवेदन और जमानत के तहत या कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा आदेशित व्यक्ति को बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक मृतक व्यक्ति के खाते में जमा बकाया राशि का भुगतान करेगा।

मृतक के खाते में सावधि जमा पर देय ब्याज :-

i) जमा राशि की परिपक्वता तिथि से पहले जमाकर्ता की मृत्यु होने और परिपक्वता अवधि के बाद जमा राशि के भुगतान का दावा किए जाने की स्थिति में, बैंक परिपक्वता अवधि की तिथि तक संविदागत दर से ब्याज का भुगतान करेगा। परिपक्वता की तिथि से भुगतान की तिथि तक बैंक इस सम्बन्ध में बैंक की नीति के अनुसार परिपक्वता की तिथि के बाद उस अवधि के लिए परिपक्वता की तिथि पर प्राप्ति की लागू दर से ब्याज का भुगतान करेगा, जिस अवधि तक उक्त जमा राशि बैंक में रहे।

ii. तथापि, जमा राशि को परिपक्वता तिथि के बाद जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, बैंक परिपक्वता की तिथि से भुगतान की तिथि तक, परिपक्वता की तिथि को प्राप्ति की बचत जमा दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

सावधि जमा, एन.आर.ओ तथा एन.आर.ई. जमा राशियों के सम्बन्ध में ब्याज भुगतानों को शासित करने वाले सामान्य नियम :- हमारा बैंक निम्नलिखित नहीं करेगा :

क. चालू खाते पर ब्याज दर का भुगतान;

ख. बैंक से उधार लेने वालों द्वारा बैंक में खोले गए किसी भी चालू खाते पर बराबरी के ब्याज का भुगतान;

ग. किसी भी राशि की साधारण जमा राशियों और १५ लाख रु० या इससे अधिक की एकल सावधि जमा राशियों, जिन पर जमा राशियों की मात्रा के आधार पर अलग-अलग ब्याज दर स्वीकार्य हो, की तुलना में उच्च और निश्चित ब्याज दर वाली विशेषतः निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्कीमों को छोड़कर एक ही तिथि को और समान परिपक्वता के लिए स्वीकृत जमा राशियों पर ब्याज भुगतान के मामले में, दो जमा राशियों के बीच भेदभाव, चाहे ये जमा राशियाँ बैंक के एक ही कार्यालय में या अलग-अलग कार्यालयों में स्वीकार की गई हों। अलग-अलग ब्याज दर के प्रस्ताव की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

i. समान परिपक्वता की जमा राशियों के सम्बन्ध में अलग-अलग ब्याज दर के प्रस्ताव की अनुमति १५ लाख रु० या इससे अधिक राशि वाली एकल सावधि जमा दर लागू होगी। अतः बैंक १५ लाख रु० या इससे अधिक राशि की जमा के सम्बन्ध में समान ब्याज दर या अलग-अलग ब्याज दर का प्रस्ताव करता है। समान परिपक्वता की १५ लाख रु० से कम की जमा राशियों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू होगी।

ii.- बैंक ऐसी जमा राशियों, जिन पर अलग-अलग दर से ब्याज भुगतान किया जाएगा, सहित जमा राशियों पर देय ब्याज दर की अनुसूची पहले से प्रकाशित करेगा। बैंक द्वारा अदा किया जाने वाला ब्याज, अनुसूची के अनुसार होगा और इसके लिए जमाकर्ता और बैंक के बीच कोई सौदेबाजी नहीं होगी।

घ) निम्नलिखित को छोड़कर किसी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी तरीके से या किसी भी रूप में जमा राशियों पर कमीशन या उपहार या प्रोत्साहन के रूप में दलाली की अदायगी :-

i. किसी विशेष स्कीम के तहत घर-घर जाकर जमा राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त एजेंटों को कमीशन अदायगी और

ii. अधिकतम २५०/- रु० की लागत के साधारण उपहार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित स्टाफ सदस्यों को दिए गए प्रोत्साहन।

ड) उक्त खण्ड (घ) के उप खण्ड में अनुमत्य सीमा तक के सिवाय किसी भी रूप या तरीके से पारिश्रमिक या शुल्क या कमीशन के भुगतान पर जमा राशि प्राप्त करने या जमा राशि से जुड़े अन्य किसी उत्पाद को बेचने के लिए किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, एसोसिएशन, संस्थान या अन्य किसी व्यक्ति का नियोजन/सेवा प्राप्ति।

च) ईनाम/लाटरी/निःशुल्क यात्रा (भारत में और/या विदेश के लिए) आदि के प्रस्ताव के साथ जमा एकत्र करने की स्कीम शुरू करना।

छ) मौजूदा जमा राशि जुटाने के प्रयास के आधार पर मौजूदा/भावी ऋण प्राप्तकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति या मध्यस्थों को ऋण देने के लिए एजेंटों/अन्य व्यक्तियों के माध्यम से संसाधन जुटाने का अनैतिक व्यवहार अपनाना।

ज) बैंक द्वारा अवधि विशेष के लिए प्रस्तावित साधारण ब्याज की वास्तविक दर का उल्लेख किए बिना सावधि जमा राशियों पर केवल सम्बन्धित लाभ का प्रसार करके जनता से जमा राशि मॉगने सम्बन्धी कोई विज्ञापन/मुद्रित सामग्री जारी करना। जमा राशि की अवधि के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की साधारण दर का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

झ) चालू खाते में रखी गई अतिरिक्त राशि (मार्जिन मनी) पर ब्याज का भुगतान

ञ) चालू खाते में जमा रखे गए धन के तहत सरकारी विभागों/अर्द्ध-सरकारी निकायों, स्थानीय निकायों आदि को दिए जाने हेतु बैंक द्वारा संविदाकारों को जारी "डिपोजिट एट कॉल" प्राप्ति से जमा राशि पर ब्याज का भुगतान।

ट) चालू खाते में जमा राशि को छोड़कर ब्याज मुक्त जमा राशि स्वीकार करना या अप्रत्यक्ष रूप से मुआवजा अदा करना।

ठ) ऐसी किसी व्यवस्था के तहत निजी वित्तपोषकों या गैर निगमित निकायों से /उनके कहने पर जमा राशि स्वीकार करना, जिसमें ऐसे ग्राहकों द्वारा परिपक्वता अवधि पूरी होने पर इनकी जमा राशियों को प्राप्त करने के लिए निजी वित्त पोषकों के ग्राहकों को लाभ पहुंचाने वाली जमा प्राप्ति को जारी करने या पॉवर ऑफ अटॉर्नी, नामांकन या अन्यथा अधिकार देने का प्रावधान है।

ड) अन्य बैंकों की सावधि जमा प्राप्ति या अन्य सावधि जमा राशियों के तहत अग्रिम देना।

ढ) सरकारी विभागों/निकायों के कार्यों के निष्पादन हेतु बजट आवंटन के आधार पर उनके नगर निगम या नगरपालिकाओं/पंचायत समितियों/राज्य हाउसिंग बोर्डों/जल एवं मल निकासी बोर्ड/राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगमों या किसी राजनैतिक दल या किसी व्यापारिक/कारोबारी या व्यावसायिक प्रतिष्ठान, चाहे ऐसा प्रतिष्ठान, स्वामित्व या साझेदारी फर्म या कोई एसोसिएशन हो, के नाम बचत जमा खाता खोलना।

9.4 दोहरे लाभ वाली जमा राशियाँ (टू-इन-वन) :-

दोहरे लाभ वाले खाते :-

बचत/चालू खाते तथा सावधि जमा के सम्बन्ध में सभी लागू निबंधन एवं शर्तें दोहरे लाभ वाले खातों पर लागू हैं। इनके साथ-साथ निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तें लागू हैं :-

टू-इन-वन खाते ऐसे सामूहिक जमा खाते (जिन्हें आगे 'सम्बद्ध जमा राशि' कहा गया है) होते हैं जिन्हें बचत / चालू खाते (जिन्हें आगे सम्बद्ध लेनदेन खाता कहा गया है) के साथ-साथ खोला जाता है।

चालू खाता धारक अपने सम्बद्ध लेनदेन खाते से चैक जारी कर सकता है, ए.टी.एम./डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। सम्बद्ध लेनदेन खाते में कमी होने की स्थिति में बैंक स्वयं उक्त कमी को पूरा करने के उद्देश्य से सम्बद्ध जमा राशियों से अपेक्षित यूनिटों को निकाल लेता है। इसका अभिप्राय यह है कि खाता धारक को जमा राशियों को निकालने के सम्बन्ध में अलग से अनुदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इस राशि को निकालने के समय बैंक के नियमों के अनुसार दण्ड लागू होगा। इसके लिए अदा की जा रही राशि पर कर की कटौती की जाएगी।

खाता धारक, टू इन-वन लिमिट सुविधा समूह के माध्यम से अपनी टू इन-वन जमा राशि से पैसा निकालने के लिए ए.टी.एम./डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है। सभी सम्बद्ध जमा राशियों का ७५ प्रतिशत मूल्य ग्राहक के लेनदेन खाते में लिमिट के रूप में रखा जाता है। इस लिमिट सुविधा का इस्तेमाल ए.टी.एम. से जरूरत की धन-राशि निकालने के लिए किया जा सकता है।

सावधि जमा के मामले में, ब्याज तब तक तिमाही अन्तराल पर सम्बद्ध बचत/चालू खाते में जमा किया जाता रहेगा जब तक बैंक को खाता धारक से ऐसा न करने के अनुदेश प्राप्त न हुए हों।

ऐसी स्थिति में जब जमाकर्ता सम्बद्ध बचत/चालू खाते से चैक जारी करता है तो बैंक को निम्नलिखित का अधिकार होगा:

खाते में पैसा कम होने के बावजूद उक्त चैकों को स्वीकार करेगा बशर्ते कि उक्त कमी, उस कुल जमा राशि से अधिक न हो जो इस स्कीम के तहत जमाकर्ता/जमाकर्ताओं, के पास बैंक में उसी नाम/नामों के क्रम में जमा हो।

उक्त कमी को पूरा करने के लिए खाता धारकों के खाते/खातों से अपेक्षित राशि को निकालेगा परन्तु यदि इस स्कीम के तहत जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के नाम एक स अधिक जमा राशि है तो उक्त कमी को पूरा करने के लिए इस स्कीम के तहत पहले अंतिम जमा राशि का इस्तेमाल किया जाएगा और यदि यह जमा राशि पर्याप्त नहीं है तो अंतिम बार जमा कराई गई राशि से पहले जमा की गई राशि को निकालेगा और जब तक उक्त कमी की पूरी तरह पूर्ति नहीं हो जाती, उक्त क्रम से जमा राशि का इस्तेमाल किया जाता रहेगा।

यह स्पष्ट है कि यदि कोई जमा राशि टू इन-वन राशि जमा नहीं है तो इसे, सम्बद्ध बचत /चालू खाते के नाम डाले गए चैको को स्वीकार करने के लिए कुल शेष राशि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

बैंक को सम्बद्ध बचत/चालू खाते के इस्तेमाल सम्बन्धी हस्ताक्षरशुदा आदेश के अनुसार जमा राशि को परिपक्वता अवधि से पहले भुनाने का भी अधिकार होगा।

बैंक को खोले गए टू-इन-वन खाते के अनुसार उसी नाम/नामों के क्रम में इस टू-इन-वन स्कीम के तहत भावी जमा राशियाँ प्राप्त करने का अधिकार होगा और इसके लिए भावी जमा राशि खाता खोलने के फार्म पर सम्बद्ध बचत/चालू खाते के इस्तेमाल सम्बन्धी हस्ताक्षरशुदा आदेश के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे।

खाता धारक, बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित औसत तिमाही शेष राशि हमेशा खाते में रखेंगे और यह राशि उनके सभी बचत या चालू खाते में कुल सयुक्त राशियाँ तथा उनके सभी सम्बद्ध बचत/चालू खाते में रखी राशियों की औसत राशि होगी। यदि कभी भी, उक्त औसत शेष राशि, निर्धारित शेष राशि से कम पड़ती है तो बैंक चालू सेवा प्रभार/शुल्क दर से प्रभार लगाएगा और उनके बचत या चालू खाते के नाम डालकर या उनकी किसी भी सम्बद्ध सावधि जमा राशियों में से एक जमा राशि को निकालकर (ब्रेक करके) अपेक्षित सीमा तक उक्त जमा राशियों से उसकी वसूली करेगा। खाता धारक इस बात से भी सहमत, और इस आशय की घोषणा करता है कि वह उक्त ऊपर दिए अनुसार उक्त प्रभार या अन्य किसी प्रभार, जो बैंक को अपने खाता नियमों तथा सेवा प्रभारों के अनुसार वसूल करते हैं, का विरोध नहीं करेगा। खाता धारक इस बात से भी सहमत है कि बैंक को बिना कोई पूर्ण सूचना दिए खाता-नियमों तथा सेवा प्रभारों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। आय से कटौती, आयकर के लागू नियमों के अनुसार की जाती है।

9.5 अनिवासी खाते :-

अनिवासी खातें खोलना और इन्हें रखना, बैंक नियामक और सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर बनाए / संशोधित किए गए नियमों तथा विनियमों के अधीन होगा। ग्राहक, इस सम्बन्ध में तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले मुद्रा नियन्त्रण विनियमों के अनुसार उपबंधों का पालन करेंगे।

ग्राहक भारत में किसी भी व्यक्ति को भारत में रूपयों में भुगतान के तहत या अन्य किसी तरीके से कोई भी विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं कराएगा।

एफ.सी.एन.आर./एस.आर.ई./एन.आर.ओ. खाता, ग्राहक द्वारा की गई घोषणा पर विशिष्ट रूप से उस ग्राहक के नाम से ही खोला जाएगा। ग्राहक स्थायी रूप से बसने के लिए भारत में उनकी वापसी के बारे में भारत में लौटने पर तत्काल बैंक को सूचित करने के लिए बन्तबद्ध है।

ग्राहक इस आशय की पुष्टि करेगा कि बैंक में रखा गया धन ग्राहक द्वारा किए गए किसी कार्यक्लाप से प्राप्त धन नहीं है जिसे उस देश, जहां से वह धन आया है या उस देश, जहां लेनदेन किए गए हैं, या उस देश, जिसमें उक्त धन रखा गया है, में गैर कानूनी माना जाएगा।

ग्राहक को इस आशय की जानकारी है कि नियमों और शुल्क दरों में बैंक के विशिष्ट विवेक पर परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राहक इस बात की पुष्टि करता/करते हैं कि वह/वे भारतीय मूल के लोग हैं जो भारत में नहीं रहते। ग्राहक को इस बात का भी ज्ञान है कि उक्त खातों/जमा खाते, उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणों के आधार पर खोले जाएंगे।

ग्राहक इस बात की भी पुष्टि करता/करते हैं कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1960 के अनुसार आवासीय दृष्टि से उनका दर्जा अनिवासी भारतीय का है और वह/वे आवासीय दर्जे में किसी भी परिवर्तन के लिखित में बैंक को सूचित करने पर सहमत हैं तथा बचनबद्ध हैं।

भारत में बैंक में ये खाते, अनिवासी भारतीयों के लिए आर.बी.आई. कार्यक्रमों के तहत है और ये खाते संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जमा बीमा निगम (एफ.डी.आई.सी) या सी.डी.आई.सी. या भारत से बाहर किसी अन्य बीमा कम्पनी या निगम द्वारा बीमाकृत नहीं है, न ही ये यू.को.बैंक प्रणाली अधिनियम, 1969 के तहत जमा संरक्षण स्कीम के तहत संरक्षित है।

एफ.ई.एम.ए. की धारा 90(4) के तहत ग्राहक इस आशय की भी घोषणा करता है कि उसके द्वारा बैंक को समय-समय पर सौंपे गए सभी विदेशी मुद्रा लेने-देनों में उक्त अधिनियम के उपबन्धों या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियम जारी अधिसूचना, निदेशन या आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है या उनसे नहीं बचा गया है और ये लेन-देन उक्त उपबन्धों या नियमों आदि के उल्लंघन या उनसे बचने के इरादे से नहीं दिए गए हैं। ग्राहक, उक्त घोषणा क सन्दर्भ में लेनदेन के बारे में ऐसी सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने की वचनबद्धता देने पर भी सहमत है जिससे बैंक औचित्यपूर्ण रूप से सन्तुष्ट हो। ग्राहक को यह भी जानकारी है कि उक्त ऐसी किसी अपेक्षा का पालन करने से मना करने या उसका केवल असंतोषजनक पालन करने पर, बैंक लिखित रूप में उक्त लेनदेन से मना कर देगा और यदि उसे इस बात का तर्कसंगत विश्वास हो कि ग्राहक की मंशा उक्त उल्लंघन/बचाव की रही है तो वह इस मामले की रिपोर्ट आर.बी.आई. को करेगा।

9.6 बचत/चालू तथा अनिवासी खातों सम्बन्धी संयुक्त नियम :-

बचत/चालू/सावधि जमा/अनिवासी खाता खोलने की प्रारम्भिक न्यूनतम जमा राशि की मात्रा बैंक के वर्तमान मानदण्डों के अनुसार है। बैंक का उक्त न्यूनतम जमा राशि में परिवर्तन के बारे में पूर्व सूचना दिए बिना प्रारम्भिक न्यूनतम शेष के मानदण्ड को बदलने का अधिकार सुरक्षित होगा।

बैंक के मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम खाता शेष हमेशा रखा जाना चाहिए और ऐसा न करने पर सेवा प्रभार लगा दिया जाएगा। उक्त सेवा प्रभार बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए अनुसार लगाया जाएगा। बैंक को उन खातों को बंद करने का अधिकार सुरक्षित होगा जिनमें बैंक के मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम खाता शेष नहीं रखा जाता है।

खाता धारक या बैंक द्वारा कोई खाता बंद किए जाने पर खाता धारक/धारको को अप्रयुक्त सभी बैंकों/ए.टी.एम./डेबिट कार्ड (यदि कोई हो) को बैंक को लौटाना होगा।

यदि कोई खाता धारक, खाता खोलने की तिथि से विशेष रूप से उल्लिखित महीनों के पूरा होने से पहले कोई खाता बंद करता है तो उस खाता धारक से बैंक की वर्तमान शुल्क दर के अनुसार प्रभार वसूल किया जाएगा।

बचत/चालू/सावधि जमा/ अनिवासी खाता धारक उक्त उल्लिखित प्रभार या अन्य ऐसे किसी प्रभार के लगाए जाने या उसकी वसूली किए जाने का विरोध नहीं करेंगे जो बैंक को अपने खाता नियमों तथा सेवा प्रभारों के अनुसार वसूल करना है।

ग्राहक द्वारा आर.बी.आई., बैंक, भारत सरकार या विधिवत रूप से गठित अन्य किसी नियामक/ निकाय या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी या किसी मार्गदर्शी सिद्धान्तों/नियमों/कानूनों का पालन न किए जाने की स्थिति में, ग्राहक इस आशय से सहमत है कि खाता/जमा राशि और बैंक प्रणाली भी उक्त सुविधाओं का इस्तेमाल करने के उसके सभी अधिकार जब्त हो जाएंगे और ग्राहक इस बात से भी सहमत है कि उसके द्वारा उक्त खाते/जमा राशि या बैंक प्रणाली की उक्त सुविधाओं को रखने/ प्रचालन करने/इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी जाएगी। ग्राहक उक्त किसी उपबन्ध, मार्गदर्शी सिद्धान्त, नियम, जमानत निबंधन एवं शर्त या किसी सावधैतिक कानून के पालन में चूक करता या उस का उल्लंघन करता है तो ग्राहक, बैंक को होने वाले किसी नुकसान या क्षति के लिए कार्रवाई कर सकता है जो वह उक्त कृत्य किए जाने पर उचित समझे।

निष्क्रिय वर्गीकरण

व्यक्तिगत बचत निष्क्रिय एवं अदावी

एक वर्ष से अधिक की अवधि से अप्रयुक्त खातों को निष्क्रिय खातों की श्रेणी में रखा गया है। परिणामतः हम आपके खाते के इस्तेमाल को रोकने के लिए बाध्य हैं। उक्त के अनुसार एक ऐसा आपके हित की रक्षा के लिए किया गया है।

५ वर्ष की अवधि से अप्रयुक्त खातों के अप्रयुक्त खातों की श्रेणी में रखा गया है। अप्रयुक्त खातों में किसी लेनदेन की अनुमति नहीं होगी। ऐसा आपके हित की रक्षा के लिए किया गया है।

२ वर्ष से अधिक की अवधि से अप्रयुक्त खातों को निष्क्रिय खातों की श्रेणी में रखा गया है। परिणामतः हम आपके खाते के इस्तेमाल को रोकने के लिए बाध्य हैं। ऐसा आपके हित की रक्षा के लिए किया गया है।

६ वर्ष की अवधि से अप्रयुक्त खातों के अप्रयुक्त खातों की श्रेणी में रखा गया है। अप्रयुक्त खातों में किसी लेनदेन की अनुमति नहीं होगी। ऐसा आपके हित की रक्षा के लिए किया गया है।

खातों को पुनः चालू करना

हम आपको तीन माह पहले इस आशय की सूचना देंगे कि आपके खाते को निष्क्रिय या अप्रयुक्त खाता घोषित किया जा रहा है। आपके खाते को निष्क्रिय या अप्रयुक्त खाता घोषित किए जाने की स्थिति में, आपको निम्नलिखित बातों का पालन करना होगा ताकि आप फिर से अपने खाते में लेनदेन शुरू कर सकें।

निष्क्रिय खाते के सम्बन्ध में

आपका खाता निष्क्रिय हो जाने पर, आपको स्वयं स्टैंडर्ड बैंक की किसी शाखा में जाना होगा और नकद पैसा निकालना होगा। कृपया अपनी बैंक बुक साथ ले जाएं। सभी खाता धारकों के लिए लागू आपकी पहचान सम्बन्धी निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

- पासपोर्ट
- मतदाता पहचान-पत्र
- पेन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस

यदि आप स्वयं ब्रांच में नहीं जा सके तो आप लेन-देन शुरू करने के लिए उक्त किसी भी एक दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि, जो नोटरी द्वारा प्रमाणित हो, देकर किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं।

निष्क्रिय खाते के सम्बन्ध में प्रभारों के लिए, कृपया अपने खाते के लिए लागू सेवा प्रभारी की संलग्न अनुसूची देखें। यदि आपको कोई बात पूछनी है तो कृपया नीचे दिए नम्बरों पर हमारे फोन-बैंकिंग पर फोन करें या हमें Customer Care email. in. standard chartered.com पर लिखें। आप अपने नजदीक किसी ब्रांच में भी जा सकते हैं। हमें, आपकी सहायता करने में प्रसन्नता होगी।

निष्क्रिय खातों के सम्बन्ध में :-

जब एक बार आपके खाते को 'निष्क्रिय' की श्रेणी में रख दिया जाता है तो उसे समुचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर पुनः चालू करवाने के लिए उस खाते का नम्बर बदल जाएगा।

बचत खातों, चालू खातों निवासी सावधि जमा राशियों/एन.आर.ओ./एन.आर.ई. जमा राशियों पर ब्याज :-

१ बैंक देशी साधारण अनिवासी (एन.आर.ओ.) तथा अनिवासी (विदेशी) एन.आर.ई. खातों में उनके द्वारा स्वीकृत या नवीकृत जमा राशियों पर उस स्थिति को छोड़कर कोई ब्याज नहीं देगा जब ये नीचे दिए गए बिन्दु 'क' और 'ख' जो भी लागू हों; में विशेष रूप से उल्लिखित दर के अनुसार हों और नीचे दिए पैराओं में विशेष रूप से उल्लिखित निबंध और शर्तों पर हों :

क) देशी/अनिवासी साधारण (एन.आर.ओ.) खातों में रखी गई जमा राशियों पर ब्याज की दर :

खाते की श्रेणी	प्रतिवर्ष प्रतिशत ब्याज
i. चालू	शून्य
ii. बचत	३.५
iii. सावधि जमा (न्यूनतम अवधि ७ दिन) बैंक द्वारा यथा लागू एवं निर्धारित	

* १७ नवम्बर, २००५ को भारत में अंतिम कारोबार बंद करने से, देशी बचत खाते को ब्याज दर एन.आर.ई. बचत खाते पर भी लागू होगी।

ख) अनिवासी (विदेशी) खातों में रखी गई जमा राशियों पर लागू ब्याज दर :

खाते की श्रेणी	प्रतिवर्ष प्रतिशत ब्याज
१. चालू खाता	शून्य
२. बचत खाता	१७ नवम्बर, २००७ से भारत में कारोबार बंद करने से प्रभावी

एन.आर.ई. बचत जमा राशियों पर ब्याज दर अमेरिकी डॉलर जमा राशियों पर छः माह की परिपक्वता के लिए एल.आई.बी. ओ.आर./एस.डब्ल्यू.ए.पी. दर के बजाय देशी बचत जमा राशियों पर लागू ब्याज दर होगी।

iii. सावधि जमा राशियाँ :- क) १७ नवम्बर, २००५ से भारत में व्यापार बंद करने की तारीख से, एक से तीन वर्ष के लिए एन.आर.ई.जमा राशियों पर ब्याज दर गत माह के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति के अनुसार, सदृश परिपक्वता के अमेरिकी डॉलर के लिए एल.आई.बी.ओ.आर./एस.डब्ल्यू.ए.पी. दर तथा ७५ बेसिस प्वाइंट से अधिक नहीं होगी।

ख) १८ अप्रैल, २००६ को भारत में कारोबार बंद करने से एक से तीन वर्ष की एन.आर.ई. जमा राशियों पर ब्याज दर गत माह के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति के अनुसार सदृश परिपक्वता के अमेरिकी डॉलर के सम्बन्ध में एल.आई.बी.ओ. आर./एस.डब्ल्यू.ए.पी. दरों तथा १०० बेसिस प्वाइंट से अधिक नहीं होगी।

ग) ब्याज दर हेतु ऐसी अधिकतम दर, जो आगामी माह से स्वीकार्य होगी, निर्धारित करने के लिए, गत माह के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति के अनुसार एल.आई.बी.ओ.आर./एस.डब्ल्यू.ए.पी. दर, आधार मानी जाएंगी।

घ) ब्याज दर में उक्त परिवर्तन, प्रत्यावर्तनीय एन.आर.ई. जमा राशियों की वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत उक्त जमा राशियों पर भी लागू होगी।

ड.) २६.०४.२००३ से सामान्य नई एन.आर.ई. जमा राशियों की परिपक्वता अवधि एक से तीन वर्ष होगी। यह अवधि एन.आर.ई. जमा राशियों की वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत की गई उक्त जमा राशियों पर भी लागू होगी। यदि कोई बैंक विशेष अपने परिसम्पति देयता प्रबंधन दृष्टिकोण से तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली जमा राशियों को स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है बशर्ते कि ऐसी दीर्घकालिक जमा राशियों पर ब्याज दर ३ वर्ष की अवधि की एन.आर.ई. जमा राशियों के लिए लागू ब्याज दर से अधिक न हो।

च) व्यापार संचालन की सुविधा की दृष्टि से ब्याज दर को बढ़ाकर ठीक आगे दो दशमलव बिंदु तक कर दिया जाना चाहिए।

३.६७६ प्रतिशत की परिगणित ब्याज दर ३.६८ प्रतिशत हो जाएगी तथा ३.६४४ प्रतिशत, ३.६४ प्रतिशत हो जाएगी।

छ) एफ.ई.डी.ए.आई., एल.आई.बी.ओ.आर./एस.डब्ल्यू.ए.पी. की दरें उस वेब पेज के जरिए प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को उद्धृत करेगा जिसे रियूटर्स स्क्रीन के सभी उपभोक्ता देख सकते हैं। इन दरों को, उन ब्याज दरों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए आधार दरें माना जाना चाहिए जो आगामी माह से स्वीकार्य हों।

२) बचत जमा राशियों तथा कम से कम ७ दिन (एन.आर.ई.) जमा राशि के मामले में एक वर्ष) की सावधि जमा राशियों के सम्बन्ध में देय ब्याज की बैंक दर के निम्नलिखित विनियम होंगे :-

i) हमारा बैंक, बचत जमा राशियों तथा सावधि जमा राशियों पर उक्त बिन्दु 'क' तथा 'ख' में विशेष रूप से उल्लिखित दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।

ii) यह ब्याज तिमाही या इससे अधिक अवधि के शेष के आधार पर अदा किया जाएगा।

बचत खातों के सम्बन्ध में ब्याज की गणना का तरीका में

बचत जमा राशियों के मामले :-

बचत खातों पर ब्याज का भुगतान मासिक उत्पाद प्रणाली पर साधारण ब्याज के आधार पर किया जाता है। मासिक जमा राशियों की गणना, प्रत्येक कैलेंडर माह के १०वें दिन से अंतिम दिन तक की अवधि के दौरान जमा खाते में जमा न्यूनतम शेष के आधार पर और केवल तब की जाएगी जब खाते में १ रुपया या इससे अधिक राशि जमा हो। बचत खातों पर ब्याज, आर.बी.आई. की निर्धारित दरों के अनुसार दिया जाता है और खाते में ब्याज प्रत्येक कैलेंडर की तिमाही पर जमा किया जाता है।

ब्याज दर की गणना का उदाहरण नीचे दिया गया है,

'क' व्यक्ति ने कोई बचत खाता ७ मार्च, २००६ को खोला है। खाता २७३.०० रु. के बैंक से खोला गया। 'क' व्यक्ति कुछ बैंक जारी करता है और उसका शेष २०.०० रु. है। उसके ब्याज की गणना नीचे दिए अनुसार की जाएगी।

२०.०० रु. X ६ माह / १२ माह X ३.५ प्रतिशत प्रतिवर्ष = ३५०/- रु.

१७ नवम्बर, २००५ को भारत में व्यापार बंद करने से, एन.आर.ई. बचत जमा राशियों पर ब्याज दर एल.आई.बी.ओ.आर./एस.डब्ल्यू.ए.पी. दर के बजाय अमेरिकी डॉलर जमा राशि के सम्बन्ध में ६ माह की परिपक्वता अवधि के लिए देशी बचत जमा राशियों पर लागू दर होगी।

१७ नवम्बर, २००५ को भारत में कारोबार बंद करने से प्रभावी संविदाशुदा एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यावर्तनीय एन.आर.ई. जमा राशियों पर ब्याज दरें, सदृश परिपक्वता अवधि के लिए अमेरिकी डॉलर के लिए एल.आई.बी.ओ.आर./एस.डब्ल्यू.ए.पी. दरों के तथा ७५ बेसिस प्वाइंट से अधिक नहीं होंगी।

तथापि १८ अप्रैल, २००६ को भारत में कारोबार बंद करने से प्रभावी संविदाशुदा एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यावर्तनीय एन.आर.ई. जमा राशियों पर ब्याज दरें, सदृश परिपक्वता अवधि के लिए अमेरिकी डॉलर के लिए एल.आई.बी.ओ.आर./एस.डब्ल्यू.ए.पी. दरों के तथा १०० बेसिस प्वाइंट से अधिक नहीं होंगी। आगामी माह से प्रभावी स्वीकार्य ब्याज दर के लिए अधिकतम दर निर्धारित करने के प्रयोजन से गत माह के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति के अनुसार एल.आई.बी.ओ.आर./एस.डब्ल्यू.ए.पी. दर आधार होगी। यदि परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक हो जाती है तो तीन वर्ष के लिए जमा राशियों के लिए भी यथा उक्त निर्धारित ब्याज दरें भी लागू होंगी। एन.आर.ई. जमा राशियों की वर्तमान परिपक्वता भी लागू होगी। एन.आई.ई. जमा राशियों की वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत एन.आर.ई. जमा राशियों पर भी परिवर्तित ब्याज दरें लागू होंगी।

३) देशी सावधि जमा के लिए ब्याज की गणना का तरीका

देशी सावधि जमा पर ब्याज की गणना के प्रयोजन से बैंक ने यह निर्धारित किया है कि तीन माह से कम में, या सावधि जमा की तिमाही पूरी नहीं हुई है तो उसके लिए अदा की जाने वाली जमा राशियों पर ब्याज का भुगतान, ३६५ दिनों का एक वर्ष मानकर दिनों की वास्तविक संख्या के अनुपात में किया जाएगा। लीप वर्ष के लिए ३६६ दिनों का एक वर्ष माना जाएगा।

विभिन्न प्रकार की सावधि जमा राशियों के सम्बन्ध में ब्याज की गणना का उदाहरण नीचे दिया गया है।

सामान्य ब्याज गणना का फार्मूला

अर्जित ब्याज - मूलधन ' दिनों की संख्या ' ब्याज दर (पी.एन.आर.)

सावधि जमा के परिपक्वता अवधि से पहले निकालने के मामले में ब्याज गणना का फार्मूला ।

इसकी दो प्रविष्टियां होंगी :

पूरी ब्याज राशि (बिना दण्ड) के लिए 'जमा' और दण्ड के लिए 'नाम डालना'

जमा प्रविष्टि = मूलधन ' दिनों की संख्या ' ब्याज दर

दिनों की संख्या - जमा राशि डालने (या नवीकरण तिथि) की तिथि से सावधि जमा राशि को बीच में निकालने (ब्रेक करने) तक

ब्याज दर - मूल अवधि की दर, जिसके लिए जमा राशि डाली गई थी।

नाम डालने की प्रविष्टि - स्टेप-१ स्टेप-२

स्टेप-१ - मूलधन ' दिनों की संख्या ' दण्डस्वरूप ब्याज दर

स्टेप-२ - मूलधन ' दिनों की संख्या ' ब्याज दर

दिनों की संख्या - जमा राशि डालने (या नवीकरण तिथि) की तिथि से सावधि जमा राशि को बीच में निकालने (ब्रेक करने) तक दण्ड स्वरूप

दर - दण्डस्वरूप ब्याज दर एक प्रतिशत होगी (चूक करने पर)

ब्याज दर - मूल अवधि पर ब्याज दर (घटाएँ)-पूरी की गई अवधि के लिए लागू ब्याज दर ।

अर्जित ब्याज - जमा प्रविष्टि घटाएँ (-) नाम डालने की प्रविष्टि।

तीन माह से कम में या सावधि जमा की तिमाही पूरी न होने के मामले में देय जमा राशियों पर ब्याज का भुगतान एक वर्ष में ३६५/३६६ दिन मानते हुए दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जाएगा।

उदाहरण :

१ मार्च, २००० से २८ फरवरी, २००१ (दोनों दिन मिलाकर) (उल्लेखनीय है कि वर्ष २००० लीप का वर्ष है।) पूरे १ वर्ष की अवधि के दौरान १०,०००/- रु० के मूलधन की सावधि जमा

ब्याज की गणना नियमानुसार की जाती है :-

प्रथम तिमाही (१ जून, २००० को) के अंत में ब्याज- $१०००० \times १०\% \times १/४ = २५०.००$

द्वितीय तिमाही (१ सितम्बर, २००० को) के अंत में ब्याज- $१०२५० \times १०\% \times १/४ = २५६.२५$

तृतीय तिमाही (१ दिसम्बर, २००० को) के अंत में ब्याज- $१०५०६.२५ \times १०\% \times १/४ = २६२.६६$

चौथी तिमाही (१ मार्च, २००० को) के अंत में ब्याज- $१०७६८.६१ \times १०\% \times १/४ = २६६.२२$

परिपक्वता राशि = ११०३८.१३

तथापि, मासिक ब्याज का भुगतान, प्रोदभूत तिमाही ब्याज को छोड़ कर किया जाता है।

१.७ निवासी विदेशी मुद्रा (देशी) खाता

भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति कानूनी नोट, बैंक नोट और ट्रेवलर्स चेक के रूप में निम्नलिखित स्थिति में प्राप्त विदेशी मुद्रा से निवासी विदेशी मुद्रा (देशी) खाते के नाम से विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारित कर सकता है और उसे रख सकता है।

क. भारत से बाहर किसी स्थान की यात्रा के दौरान सेवाओं के भुगतान द्वारा जो भारत में किसी भी कारोबार या भारत में किए गए किसी भी काम से नहीं मिला है, या

ख मानदेय या उपहार के रूप में या दी गई सेवाओं में लिए या किसी कानूनी दायित्व के निपटान में किसी ऐसे व्यक्ति से जो भारत में निवासी नहीं है और जो भारत की यात्रा पर आया है।

ग. भारत से बाहर किसी स्थान की यात्रा के समय मानदेय या उपहार द्वारा।

घ. जो उसके द्वारा विदेश यात्रा के लिये किसी प्राधिकृत व्यक्ति से प्राप्त विदेशी मुद्रा की अप्रयुक्त राशि हो।

ड. जो निकट संबंधियों से अर्जित और/या उनसे प्राप्त उपहार (कम्पनी अधिनियम में यथा परिभाषित) हो जिसे निवासी व्यक्तियों द्वारा बैंक प्रणाली के सामान्य माध्यमों से भारत में भेजा गया हो। विदेशी मुद्रा, अर्जन, माल और/या सेवाओं के निर्यात, रॉयल्टी मानदेय के माध्यम से हो सकता है।

खाते में अनुमत्य नामे डालने वाली राशियां, विदेशी मुद्रा प्रबंधक (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, के उपबंधों के अनुसार चालू खाता लेनदेन के तहत और विदेशी मुद्रा प्रबंधक (अनुमत्य पूंजी खाता लेनदेन) की नियमावली, २००० के तहत किसी पूंजी खाता लेनदेन के तहत भुगतान के लिए होंगी।

इस खाते पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

खातों को यू.एस.डी, जी.वी.पी तथा ई यू आर में रखा जा सकता है।

ये खाते केवल एकल खाते हो सकते हैं और इन खातों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है।

ग्राहक, खाते के इस्तेमाल से संबंधित सभी मुद्रा नियंत्रण विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करेगा। इसके अलावा, ग्राहक बैंकबुक जारी करने के लिए निम्नलिखित की पुष्टि करेगा।

१. बैंक केवल मान्य प्रयोजनों से जारी किए जाएंगे और लेनदेन को शासित करने वाले मुद्रा नियंत्रण विनियमों का पालन किया जाएगा।

२. बैंक को बैंक जारी किए जाने की तारीख से ७ दिन के भीतर भुगतान का पूरा ब्यौरा के उल्लेखित सहित संगत दस्तावेज तथा फॉर्म ए३/ए२ में एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

३. उपर्युक्त बातों का पालन न किए जाने की स्थिति में कोई भुगतान करने की बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और बैंक जारी बैंक को लौटा सकता है। इन खातों में रखी निधियों को भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा में बदला जा सकता है और बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी प्रयोजन (चालू और पूंजी खाता लेनदेन) के लिए इस्तेमाल, और प्रमाण अपेक्षा के साथ उसी तरीके से किया जा सकता है जैसे कि एफईएमए के तहत यथा अनुमत्य इस व्यक्तियों के आई एन आर मूल्यांकित खातों से किया जा सकता है।

सभी जमा डालते (निधियत लेनदेन सहित) के लिए बैंक में ग्राहक की उपस्थिति जरूरी है। उन सभी मामलों में सी डी एफ (समय-समय पर यथा संशोधित एफ ई एम ए विनियमों के अनुसार) (मुद्रा घोषणा फार्म) उपलब्ध अनिवार्य है जब ऐसे व्यक्ति द्वारा करनसी नोटों, बैंक नोटों या ट्रेवलर्स चेकों के रूप में लाई गई विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य १०००० अमरीकी डालर या इसके बराबर से अधिक नहीं है और /या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त विदेशी नोटों का कुल मुल्य ५००० अमरीकी डालर या इसके बराबर से अधिक है।

१.७ खाता बंद करना

बिना कोई कारण दिए और खाते के अनुचित संचालन के लिए बैंक को अपने पूर्ण विवेक से, ग्राहक को खाता बंद करने के बारे में ३० दिन का लिखित नोटिस देकर किसी भी खाते को बंद करने का हक होगा। बैंक किसी भी खाते को इस प्रकार बंद करने से उत्पन्न किसी परिणाम उक्त नोटिस अवधि के समाप्त होने के बाद अशोधित बैंक लौटाने सहित परन्तु इस परिणाम तक सीमित नहीं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

खाता बंद होने पर, बैंक, खाते में जमा वक़ाया राशि, यदि कोई हो, को पे- आर्डर/बैंक से बैंक के रिकार्ड में दिए ग्राहक के पते पर भेज देगा। ग्राहक किसी भी समय बैंक को कोई नोटिस दिए बिना खाता बंद कर सकता है, तथापि, बैंक को उस समय तक खाता बंद करने से मना करने का हक होगा जब तक ग्राहक द्वारा बैंक को देय सभी प्रभारों, ब्याज, खर्चों आदि का पूरा भुगतान न कर दिया गया हो। यह ग्राहक की जिम्मेदारी होगी कि खाता बंद करने के समय, ग्राहक, बैंक को अप्रयुक्त सभी बैंक लौटाएगा।

ग्राहक, जारी परन्तु अभी प्रस्तुत नहीं किए गए चेकों बारे में भी बैंक को सूचित करेगा। उपर्युक्त स्थिति के बावजूद, ग्राहक के अनुरोध पर खाता बंद किया जा सकता है और यदि ग्राहक द्वारा जारी कोई चेक, खाता बंद होने के बाद बैंक में डाला जाता है तो उसे अस्वीकार होने की एकमात्र जिम्मेदारी ग्राहक की होगी। ग्राहक, बैंक को उक्त खाता बंद किए जाने के कारण चेक अस्वीकृत होने पर बैंक को हुए किसी नुकसान या क्षति की पूर्ति करेगा और उक्त कारण से आगे होने वाले नुकसान या क्षति की पूर्ति करता रहेगा। बैंक के अधिकार या नियन्त्रण में ग्राहक की निधियों / परिसम्पत्तियों /खातों में से किसी से भी दावा करने के बैंक के अधिकार पर प्रभाव डाले बिना, ग्राहक बैंक को लिखित मांग पर और कोई शिकायत या विवाद किए बिना एतद द्वारा बिना किसी शर्त विरोध और शर्त के बैंक को दावा की गई किसी राशि या राशियों का तत्काल भुगतान करने पर सहमत है और वचनबद्ध है।

२. लागू / शासी कानून

सभी खाते भारतीय कानूनों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा शासित होंगे और उनके अध्यक्षीन होंगे उस शहर, जिसमें बैंक की शाखा है, जिसमें खाता खोला गया था/खोला गया है, के न्यायालयों को विधिष्ठ क्षेत्राधिकार होगा तथा ग्राहक और बैंक बिना किसी शर्त के उक्त न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आएंगे। उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद, इससे भारत में या भारत से बाहर किसी अन्य क्षेत्राधिकार में स्थित किसी अन्य न्यायालय या न्यायिक मंच में कोई दावा प्रस्तुत करने / दावा करने के अधिकार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक का वह रूख या निर्णय अंतिम होगा जो वह खाते से संबंधित किसी बात के बारे में ले और किसी भी स्थिति में ग्राहक उसका विरोध नहीं कर सकता।

बैंक को समग्र भुगतान या उसके किसी भाग सहित बैंक में रखी या प्राप्त किसी जमा राशि तथा /या किसी खाते के संबंध में बैंक के सभी दायित्व सदैव यथा लागू भारत में कानूनों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्यक्षीन होंगे।

३. चेक बुक

चालू /बचत खाते के संबंध में किसी चेक बुक का आवेदन केवल खाता धारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित बैंक की मांग पर्ची पर ही किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा जारी सभी चेक बुकों को हमें सुरक्षित जगह रखा जाना चाहिए।

बैंक को उन खातों के संबंध में चेक बुक जारी करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित होगा जिन्हें संतोषजनक ढंग से नहीं रखा जाता है और / या पिछली चेक बुकों के अत्यधिक संख्या में चेक बिना इस्तेमाल किए रहते हैं।

चेक में किए गए फेर-बदल को आहरक के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए अन्यथा उस चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

खाता धारक को चेक काटते समय सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चेक इस तरीके से काटा गया है कि इसमें किया गया कोई भी फेर एक दम साफ दिखाई देता है और उसका तत्काल पता चल जाता है।

बैंक को चेक बुकों को पंजीकृत डाक या कोरियर से बैंक के रिकार्ड में दिए पते पर भेजने और इसकी लागत उस खाते में डालने के अधिकार सुरक्षित होगा। खाता धारक को चेक बुक का अनुरोध करने के ७ दिन के भीतर चेक बुक न मिलने पर बैंक से पूछताछ करनी चाहिए यदि खाता धारक ७ दिन के भीतर चेक न मिलने की सूचना बैंक को नहीं देता है तो, बैंक चेक न मिलने या इसके गलत पते पर पहुंचने या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से उसे रास्ते में प्राप्त कर लेने के संबंध में कोई शिकायत नहीं सुनेगा।

आवश्यक होने पर, ग्राहक, उसके द्वारा जारी किसी भी चेक या विभिन्न सभी चेकों के भुगतान को रूकवाने के लिए कह सकता है जो इस शर्त के अध्यक्षीन होगा कि बैंक द्वारा ऐसे अनुरोध पर कार्रवाई, बैंक को उक्त अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से दो कार्य दिवसों के भीतर की जाए। ऐसे किसी भी खाते, जिसके लिए संयुक्त इस्तेमाल की व्यवस्था चुनी गई है, के संबंध में भुगतान रूकवाने की हिदायतों पर खाते के इस्तेमाल के लिए यथा लागू तरीके से हस्ताक्षर किए जाना अनिवार्य है। तदनुसार, बैंक उस

स्थिति में उन चेकों, जिनके संबंध में बैंक को भुगतान रूकवाने की हिदायते प्राप्त हुई हैं, के समापोधन या उसके किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा जब बैंक को ऐसी हिदायतें उक्त चेक प्राप्त होने की तारीख से दो कार्य दिवस पहले की तारीख को प्राप्त हुई हों और उन पर खाते के इस्तेमाल से संबंधित हिदायतों के अनुसार हस्ताक्षर नहीं किए गए हों। इस सेवा के प्रभार, उनकी प्रचलित अनुसूची के अनुसार संबंधित खाते के नाम डाल दिए जाएंगे। ग्राहक इस आशय से सहमत है और इसकी बचन बढ़ता देता है कि वह, टेलीफोन / फैक्स / अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त किसी हिदायत के अनुसरण में बैंक द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का विरोध नहीं करेगा, चाहे ग्राहक ने ऐसी हिदायतें जारी की हो या नहीं और चाहे ग्राहक द्वारा एक नाम से या संयुक्त नाम से बैंक में खोले गए, मौजूदा या जो भविष्य में खोले जा सकते हैं, उन खातों के संबंध में यदि बैंक की ऐसी हिदायतें मिली भी हो जिस पर कार्रवाई नहीं की गई है, के बावजूद विरोध नहीं करेगा और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी परिणाम जिसमें बिना किसी सीमा के किसी भी और सभी, नुकसान देयताओं, दावों, अभियोजनों, व्ययों (अटार्नी की फीस तथा कानूनी लागत सहित) और उस तरह के परिणामों, जो ग्राहक को भोगने / बहन करने पड़े हों, के लिए बैंक से कोई दावा करेगा। ग्राहक उक्त परिणामों का पूरा हर्जाना भरेगा और उक्त परिणामों तथा उनके कारण या बैंक को सामान्यतया उस खाते के और विशेषतः ग्राहक द्वारा किसी भी चेक के संबंध में मौखिक या अन्यथा भुगतान रूकवाने के लिए जारी हिदायतों के बावजूद बैंक द्वारा मौखिक या अन्यथा भुगतान रूकवाने के संबंध में जारी हिदायतों के कारण किसी चेक का भुगतान न करने के संबंध में बैंक को टेलीफोन फैक्स / अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त किसी हिदायतों से उत्पन्न किसी नुकसान / दावों / अभियोजनों / देयताओं / खर्चों (अटार्नी की फीस तथा कानूनी लागत सहित लागतों) आदि, जो बैंक को भोगनी / बहन करनी पड़ी हो, से बैंक / इसके अधिकारियों / कर्मचारियों / एजेंटों / प्रतिनिधियों को पूरी तरह बचाकर रखेगा। बैंक ग्राहक द्वारा ड्राफ्ट-बक्स में डाली गई या इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्रणाली से सम्प्रेषित भुगतान रूकवाने की हिदायतों के संबंध में, भुगतान रूकवाने की उक्त हिदायतों पर कार्रवाई न करने या क्लिम्ब से कार्रवाई करने और परिणामी नुकसानों, यदि कोई हुआ है, और भुगतान रूकवाने की उक्त हिदायतों के तहत चेक के समापोधन के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

४. निबंधन एवं षर्तों की सुलभता और उनमें परिवर्तन

निबंधन एवं षर्तों की प्रतिलिपियां, बैंक की प्रत्येक शाखा में उपलब्ध हैं। बैंक कभी भी और ग्राहक को कोई पूर्व सूचना दिए बिना सभी या किसी भी निबंधन एवं षर्तों में परिवर्तन संपोषण/ फेरबदल/परिवर्धन / विलोपन जारी कर सकता है। ग्राहक को सूचना-सम्प्रेषण के सामान्य तरीकों से सूचित किया जाएगा और / या परिवर्तनों को प्रभावी किए जाने से पहले इन परिवर्तनों को बैंक की इन्टरनेट साइट पर डाला जाएगा तथा ये स्टेण्डर्ड चाटर्ड बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध होंगे। यदि ग्राहक बैंक में अपने खातों को बनाए रखता है तो इसका यह अभिप्राय होगा कि ग्राहक उक्त परिवर्तनों से सहमत है और उन्हें स्वीकार करता है।

५. मृत्यु का अक्षमता :-

यदि खाते के किसी मालिक या उसके किसी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मृत्यु हो जाती है या उसे किसी न्यायालय/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अक्षम घोषित कर दिया जाता है तो ग्राहक, बैंक को तत्काल उसकी अधिसूचना देगा। बैंक उस खाते को, किसी खाता मालिक/खाता धारक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मृत्यु हो जाने या उसे अक्षम घोषित किए जाने या उस खाते के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाए जाने बैंक पर उस खाते को अपने अधिकार में ले सकता है और उसके किसी भी इस्तेमाल को रोक सकता है। इसके बाद भी बैंक ऐसे खातों पर आगे प्रभार/ब्याज लगा सकता है और किसी बैंकर के ग्रहणाधिकार या अन्यथा व्यवस्था के तहत इन खातों से देय ऐसी राशियों का दावा कर सकता है। किसी ग्राहक/खाते के किसी धारक की मृत्यु के मामले में बैंक तब तक उस खाते की सभी या किसी भी निधि को अपने अधिकार में रख सकता है जब तक कि वह अपनी सन्तुष्टि से उस ग्राहक/खाताधारक के उत्तराधिकारी की पहचान और परिचय सिद्ध न कर ले जिसके लिए वह उत्तराधिकार-प्रमाण-पत्र/वसीयतनामे के प्रमाण-पत्र की मांग कर सकता है। बैंक सबसे पहले दावा प्रस्तुत करने वाले उत्तराधिकारी को निधियां जारी करने में उचित सावधानी बरतेगा और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी विवाद या दावे में न तो कोई पक्ष लेगा और न ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। उक्त अधिसूचना की तारीख के बाद प्रस्तुत किसी भी बैंक को बैंक के विशिष्ट विवेक पर बिना भुगतान किए लौटाया जा सकता है, चाहे वह बैंक ग्राहक की मृत्यु से पहले की तारीख में काटा गया हो। यदि ग्राहक ने नामांकन सुविधा का इस्तेमाल किया है तो चाहे भुगतान की तारीख को वसीयत मृतलेख प्रस्तुत भी किया जाए, बैंक उसके नामिती को भुगतान करके अपने दायित्व से मुक्त हुआ माना जाएगा।

६. सामान्य :

बैंक किसी प्रतिष्ठित क्रेडिट या रेफरेंसिंग एजेंसी/एजेंसियों को आपके नाम का उल्लेख कर सकता है और बैंक ऐसे उल्लेख और पूछताछ कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। बैंक को, अपने विशिष्ट विवेक पर आपकी ओर से बिना षर्त उन पार्टियों को आपकी क्रेडिट सुविधा से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे। इसके अलावा कानून के तहत किसी भी अधिकार से किसी भी सूचना के बारे में अनुरोध और मांग के लिए बैंक की अनुमति लेना अनिवार्य है। क्रेडिट अधिसूचना ब्यूरी (इण्डिया) लि० और ऐसे प्राधिकृत कोई भी अन्य एजेंसी, बैंक द्वारा दी गई उक्त सूचना और डाटा का उस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है और उसे संसोधित कर सकती है जो वे उचित समझें और क्रेडिट अधिसूचना ब्यूरी (इण्डिया) लि० या ऐसे प्राधिकृत कोई भी अन्य एजेंसी, संसोधित सूचना और डाटा या उनके द्वारा तैयार उसके किसी उत्पाद को इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट बैंक/वित्तीय संस्थानों तथा अन्य क्रेडिट दाताओं या पंजीकृत प्रयोक्ताओं को उनके विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक और इस बैंक की "अपने ग्राहक की जाने" (के.वाई.सी) सम्बन्धी अपेक्षाओं के पालन के रूप बैंक को ऐसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो बैंक समय-समय पर मांगे। बैंक को सुविधा वापिस लेने, बकाया प्रतिभूति तथा गारंटी यदि कोई हो, भुनाने और उसकी समुचित प्राप्तियों को लेने और यदि कुछ और बाकी रह जाता है तो उसे आपसे वसूल करने या आपके द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेजों को बैंक को उपलब्ध न कराए जाने पर खाते के बंद करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

बैंक में सभी खातों के लिए प्रत्येक खाता धारक का अधिप्रमाणित हाल का फोटो प्रस्तुत किया जाना है।

बैंक में नामांकन सुविधा उपलब्ध है और यह सुविधा सम्बन्धित खाते में जमा पड़ी राशि के सम्बन्ध में बैंककारी कम्पनी (नामांकन) नियमावली, १९८५ के अध्याधीन होगी और खाते का इस्तेमाल करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका इस्तेमाल उक्त प्रयोजन हेतु बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित और उक्त दावे की तारीख का प्रभावी नियमों के अनुसार किया जाएगा। संयुक्त खातों के सम्बन्ध में कोई भी पत्र प्रथम खाता धारक के पते पर भेजा जाएगा और इसे सभी खाता धारक को प्रेषित हुआ माना जाएगा।

ऐसे खातों को रोक (ब्लॉक) दिया जाएगा जिनके सम्बन्ध में कुड़की आदेश या खाने के इस्तेमाल को निषेध करने वाला कोई अन्य कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ है और तब तक आगे और इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त निषेधात्मक आदेश हटा नहीं लिया जाता।

यद्यपि बैंक का यह प्रयास रहेगा कि वह ग्राहक को ऐसे आदेश के बारे में सूचना दे, तथापि, बैंक ऐसे करने के लिए बाध्य नहीं है। उपर्युक्त के सिवाय, ग्राहक को निषेधात्मक आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी के साथ हुए अन्य किसी पत्र-व्यवहार का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

ग्राहक के लेनदेन, समय-समय पर यथा लागू सामान्य बैंककारी समय के दौरान स्वीकार किए जाएंगे।

सभी खाता धारकों को, पते में कोई परिवर्तन होने पर यथासम्भव शीघ्र लिखित में बैंक को अधिसूचित करना चाहिए। यदि बैंक को ऐसी सूचना नहीं मिलती है तो बैंक डाक के वापिस आने/उसके गुम हो जाने, गलत पते पर चले जाने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रत्येक खाते का एक विशिष्ट नम्बर दिया जाएगा और बैंक के साथ किए जाने वाले किसी भी लेनदेन और पत्र व्यवहार में इस नम्बर का उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक ऐसे किसी भी ग्राहक के खाते/खातों को संचित या समेकित कर सकता है जिसकी बैंक के प्रति देयताएँ बनती हों और खाता धारक/धारकों की बैंक के प्रति देयताओं के एवज में या अन्य किसी वजह से ऐसे खातों में उपलब्ध जमा राशियों अन्य किसी राशि से भरपाई कर सकता है या उक्त राशियों को अन्तर्गत कर सकता है चाहे उक्त देयताएँ वास्तविक या आकस्मिक, मुख्य या गौण और संयुक्त या अलग-अलग हों।

खाता धारक को छोड़कर अदाताओं के नाम बैंक, डिविडेन्ड वारन्ट, या अन्य किसी बंध-पत्र को समाहरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ग्राहक को सेवाएं/कतिपय सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से और उनके अनुसरण में, बैंक अपने समूह की कम्पनियों या विक्रेताओं, चाहे वे भारत में स्थित हो या विदेश में, को ग्राहक के खातों/जमा राशियों के बारे में सभी सूचना उपलब्ध कराएगा।

ग्राहक को सेवाएं/कतिपय सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से और उनके अनुसरण में, बैंक को विशिष्ट और अन्य सेवा प्रदाताओं/एजेन्टों की सेवाएं भी लेने की आवश्यकता होगी/हो सकती है। ग्राहक एतद्द्वारा और बिना किसी विरोध के बैंक द्वारा ग्राहक खातों के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी ऐसे किसी भी सेवा प्रदाता/एजेन्ट को उपलब्ध कराने/प्रस्तुत करने पर सहमत है जिनकी सेवाएं बैंक प्राप्त करता है या प्राप्ति करने का विचार रखता है ताकि वह ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सके।

ग्राहकों द्वारा अपने खातों के इस्तेमाल के सम्बन्ध में कोई भी स्थायी हिदायतें केवल लिखित में दी जानी चाहिए। इसी प्रकार ऐसी स्थाई हिदायतों को वापिस लेने की सूचना भी केवल लिखित में दी जानी चाहिए।

ग्राहकों द्वारा उनके खातों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नामें डालने का प्राधिकार देने की हिदायतों को वापिस लेने के लिए बैंक को लिखित रूप में बताया जाना आवश्यक है।

ये जमा राशियों और उनके भुगतान भारत में समय-समय पर लागू नियमों द्वारा शासित हैं और भारत में बैंक की उस शाखा में देय हैं जहाँ उक्त राशियाँ जमा करवाई गयी थी। बैंक उक्त जमा राशि के लाभों को भारत में किसी अन्य शाखा या कार्यालय (मुख्यालय सहित में) अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

खाते को चालू रखने से सम्बन्धित कोई भी हिदायत लिखित में दी जाएगी और इनका तरीका और विषय-वस्तु ऐसी हो जिससे बैंक सन्तुष्ट हो।

बैंक, ग्राहक द्वारा प्रस्तुत वक्तव्यों/घोषणाओं को असत्य, विशेषतः उनके महत्वपूर्ण ब्यौरो की दृष्टि से, पाए जाने पर बैंक में रखी गई जमा राशि/राशियों पर कोई ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

खाता खोलने या उसके बाद जमा फार्म में किसी भी उत्पाद के सम्बन्ध में पहले चुनी गयी सम्पर्क वरीयता, (कान्टेक्ट प्रेफेरेन्स) खाता खोलने/खाते के नाम में परिवर्तन के अनुरोध की तारीख से ६० दिन के बाद प्रभावी होगा और यह बैंक में पहले से पंजीकृत किसी भी सम्पर्क वरीयता का स्थान लेगी।

७ क्षतिपूर्ति/अभिग्रहण का अधिकार :-

बैंक को एकल या संयुक्त किसी भी नाम से खोले गए ग्राहक के खाते में रखी सावधि जमा राशियों सहित जमा से तथा साथ ही ग्राहक की किसी भी या सभी प्रतिभूतियाँ, जो बैंक में चालू किसी भी खाते (संयुक्त/एक नाम से) में रखी हो या जो सुरक्षा या अन्य किसी दृष्टि से बैंक के अधिकार में आए, उनसे भी वर्तमान और भविष्य में ग्राहक को कोई प्राधिकार या सूचना दिए बिना

सभी बकाया देयताओं के बराबर, जो किसी भी तरह से खाते में जमा पड़ी राशि से अधिक देय भुगतान के कारण सहित परन्तु उक्त भुगतान तक सीमित नहीं, देय हो, क्षतिपूर्ति करने और उन्हें ग्रहण करने, चाहे पहले कोई अन्य ग्रहण या अभिरक्षा का अधिकार हो या नहीं, और या बैंक द्वारा कोई भी प्रभार लगाने का पूर्ण और परम अधिकार होगा।

उक्त पैरा की विषय-वस्तु पर प्रभाव डाले बिना बैंक को ए.टी.एम., ई.डी.सी., पी.ओ.एस., इन्टरनेट बैंकिंग, बैंक जमा, कियोएक से या किए गए या अन्य किसी तरह के लेनदेन के मामले में, खाते में की गई किसी भी प्रविष्टि (नाम/या जमा) को उस स्थिति में रद्द करने का परम और निर्विवाद अधिकार होगा जब बैंक द्वारा किसी भी कार्रवाई के सिलसिले में किसी छानबीन सत्यापन, जांच, अन्वेषण, लेखा परीक्षा के या अन्य किसी अनुसरण में इस आशय का पता चलता है कि उक्त प्रविष्टि असत्य थी, उसके साथ समर्थन में समुचित दस्तावेज/प्राधिकार पत्र नहीं लगाए गए थे, या किसी भी अन्य कारण से असत्य थी या भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों, या विनियमों या विनिर्देशनों सहित, परन्तु उन तक सीमित नहीं, किसी भी नियम या विनिर्देशन या विनियम के अनुरूप नहीं थी, बैंक को ऐसी लागतों, क्षतियों या देयता को वसूल करने के लिए ग्राहक के खाते पर ग्रहणाधिकार होगा और आगे भी यह अधिकार रहेगा जो बैंक को वहन करनी पड़े या लगाई जाए और इसके अलावा बैंक को किसी भी कमी का दावा करने और ग्राहक से वसूल करने का भी अधिकार होगा।

मुद्रित उत्पाद, जो एटीएम के इस्तेमाल के समय उत्पन्न होता है, एटीएम के इस्तेमाल का रिकार्ड है तथा इसे बैंक का रिकार्ड नहीं समझ लेना चाहिए। बैंक के लेनदेन के रिकार्डों को सभी प्रयोजनों के लिए निर्णायक एवं बाध्यकारी के रूप में स्वीकार्य किया जाएगा।

9.1 लेनदेन का प्रमाण

बैंक को, खाताधारक की ओर से, खाता धारक द्वारा घर बैठे बैंक लेनदेन सुविधा (डोर स्टेप बैंकिंग) सभी आहरणों/लेनदेनों के लिए सेवा प्रभार सहित) के जरिए किए गए सभी आहरणों/लेनदेनों को उद्धृत खातों के नामे डालने का अधिकार होगा। उक्त सेवा से किए गए लेनदेन से सम्बन्धित बैंक का रिकार्ड खाताधारक को मान्य होगा तथा वह किसी भी कारण से उसका विरोध नहीं किया जाएगा।

9.2 नकद लेनदेन

खाताधारक, बैंक द्वारा, अपने विशिष्ट विवेक पर, समय-समय पर यथा निर्धारित, उसे कोई नोटिस दिए बिना, दिन में एक बार नकद की विनिर्दिष्ट 'अधिकतम राशि' तक नकद निकाल सकता है। कार्य समय के बाद किए गए सभी लेनदेनों को खाताधारक के खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और इसके लिए खाताधारक के अनुरोध के अनुसार राशि प्राप्ति तारीख, उस राशि को निकालने की तारीख होगी।

9.3 बैंक/नकद जमा

खाते में सभी बैंक/नकद जमा तथा जमा खाते, बैंक द्वारा सत्यापन/वसूली के अधधीन होंगे और खाताधारक को उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण में उल्लिखित ये सत्यापित/ वसूल की गई राशियाँ खाताधारक को मान्य होंगी।

द. खाता-विवरण

प्रत्येक खाते के प्रिंटेड खाता-विवरण, या ग्राहक के अनुरोध पर ई-मेल से भेजे जाने वाले खाता-विवरणों को, बैंक द्वारा प्रत्येक खाते के सम्बन्ध में यथा निर्धारित समय अन्तराल पर भेजे जाएंगे। यदि बैंक में ग्राहक के एक से अधिक खाते हैं और उसने किसी भी खाते के विवरण ई-मेल से भेजने का अनुरोध किया है तो, बैंक, उसके सभी खातों के विवरण ई-मेल से भेजेगा। उस व्यवस्था को छोड़कर जो एन.आर.आई./पी.आई.ओ/ओ.सी.बी. ग्राहकों पर लागू हो, यदि ग्राहक अपने सम्बद्ध खातों को जोड़ता है और जैसा उसने अनुरोध किया है, केवल एक खाता विवरण भेजा जाएगा। ऐसे सम्बद्ध खातों के लिए कोई अलग खाता विवरण नहीं भेजा जाएगा। यदि ग्राहक उक्त विवरण प्राप्त होने के 95 दिन के अन्दर उनके बारे में कोई शिकायत नहीं करता तो उस विवरण को सही माना जाएगा। बैंक को किसी भी समय विसंगतियों, यदि कोई हों, को दूर करने का अधिकार सुरक्षित होगा। यदि ग्राहक विवरण देखने और किसी समस्या की रिपोर्ट करने में देरी करता है तो इससे उस समस्या का समाधान करने की बैंक की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है और ग्राहक होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। ग्राहक इस आशय की भी पुष्टि/घोषणा करता है कि उसकी ओर से उक्त किसी संदेहपूर्ण नामे डालने/आहरण के बारे में बैंक को समय पर अधिसूचित करने में कोई कमी, चूक या लापरवाही होती है तो बैंक उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सभी खाता विवरण बैंक के रिकार्ड में दिए पते पर भेजे जाएंगे। बैंक को, विवरणों और/या अन्य दस्तावेजों/सामग्री को डालने और डाक से भेजने के लिए किसी अन्य व्यक्ति/विक्रेता या सेवाओं और उसका उपयोग करने के लिए ग्राहक का प्राधिकार प्राप्त होगा। बैंक, डाक में गुम हुए विवरणों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि आवश्यक हो तो, ग्राहक को विवरण की नकल लेने के लिए बैंक से सम्पर्क करना चाहिए।

६. अधित्याग

यदि ग्राहक किसी या सभी सेवाओं का इस्तेमाल करने का निर्णय करता है तो वह अपेक्षित माध्यम या तरीके से, जैसा बैंक की मांग हो, सत्य, पर्याप्त, पूर्ण तथा स्पष्ट हिदायतें और जानकारी उपलब्ध कराने पर सहमत है जिसके उपलब्ध न होने पर वह, बैंक को प्राप्त ऐसी हिदायतों के अनुसरण में बैंक द्वारा की गई किसी कार्रवाई, कोई कार्रवाई न किए जाने, की गई भूल-चूक का विरोध नहीं करेगा और उस स्थिति में वह, बैंक के ग्राहक से संबंधित अधिकारों, ग्रहणाधिकारों, दावों को सीमित किए बिना अपने सभी अधिकारों, चाहे वह प्रदत्त हो, एवजी हो या कोई कानूनी हो, तथा दावे प्रस्तुत करने और उनका भुगतान प्राप्त करने का अधिकार छोड़ देगा। यदि यह बात सिद्ध हो जाए कि ग्राहक ने बैंक द्वारा यथा अपेक्षित माध्यम या तरीके से सत्य, पर्याप्त, पूर्ण और स्पष्ट हिदायतें तथा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है तो ग्राहक खाते के इस्तेमाल या उसके किसी परिणाम के कारण बैंक को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है या उसे लागत वहन करनी पड़ी हो तो वह, बैंक को उन सभी की क्षतिपूर्ति करेगा।

90. कार्य दिवस

कार्य दिवस वे दिन हैं जो रविवार के दिन नहीं है या वे दिन नहीं है जिन्हें परक्राम्य लिखित अधिनियम १८८१ के अनुसार अवकाश दिवस घोषित किया गया है। ग्राहक यह बात स्वीकार करता है कि चाहे बैंक कारोबार हेतु रविवार को, या उक्त अधिनियम के तहत घोषित अवकाश दिवसों में खुला हो फिर भी उन्हें इन निबंधन और शर्तों के प्रयोजन से कार्य दिवस नहीं माना जाएगा।

91. प्रकटन

खाताधारक, उसके निजी ब्यौरों, खातों, बैंक के साथ लेनदेन या कारोबार से सम्बन्धित किसी भी सूचना को, किसी भी प्रयोजन से कभी भी किसी सक्षम नयायालय, अर्ध न्यायिक प्राधिकारी, कानून प्रवर्तक एजेंसी, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के संगत स्कन्ध, भारतीय रिजर्व बैंक, आयकर प्राधिकारियों, सांविधिक प्राधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, क्रेडिट ब्यूरो/एजेन्सियों / विक्रेताओं या किसी कम्पनी जो बैंक की एसोसिएट या आनुषंगिक या ग्रुप कम्पनी हो, को देने के लिए एतद्द्वारा बैंक को प्राधिकार देता है। खाताधारक, बैंक को, कानून या विनियम के तहत अपक्षित या ऐसी अन्य सूचना, जिसके लिए बैंक समय-समय पर औचित्यपूर्ण अनुरोध करें, उपलब्ध कराने पर भी सहमत है।

92. बिलों का भुगतान/प्रस्तुति तथा ई-शापिंग

बैंक, ग्राहक को उसके खाते से कतिपय बिलों के बकाया या कतिपय सेवा प्रदाताओं/विक्रेताओं /उपयोगी सेवाओं के किसी बकाया का भुगतान, चाहे वह ऐसे बिलों के ब्यौरे जान पाए या नहीं, इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग से करने की सुविधा प्रदान कर सकता है।

ग्राहक, बिल भुगतान सेवाओं के लिए बैंक को दी गई जानकारी और विवरणों की यथार्थता के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

यह सेवा ग्राहक की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गई है और बैंक को निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता :

ऐसे बिलों/बकाया और /या/ उनके ब्यौरे की सत्यता या यह कि इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग से बिल समय पर उपलब्ध कराया गया या नहीं।

सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं/विक्रेताओं/उपयोगी सुविधा प्रदाताओं को समय पर भुगतान या सम्बन्धित सेवा प्रदाता/विक्रेता/उपयोगी सेवा द्वारा भुगतान की समय पर प्राप्ति

यह ध्यान रखना कि क्या ग्राहक ने भुगतान इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के सिवाय किसी अन्य माध्यमों से किया है।

किसी भी कारण से सेवा/माल/सुविधा को बंद करना/स्थगित करना/ आंशिक रूप से स्थगित करना/रद्द करना और उसके परिणाम

सेवा/माल की गुणवत्ता जिसके लिए भुगतान देय है/किया गया है या किसी भी कारण से सेवा/माल की सुपुर्दगी में विलम्ब हुआ है/ सुपुर्दगी नहीं हुई है जिसमें सेवा प्रदाता/विक्रेता/सुविधा प्रदाता का दोष या सेवा प्रदाता/विक्रेता/सुविधा प्रदाता का दिवालिया होना/कारोबार स्थगित करना/बंद करना शामिल है परन्तु यह इन स्थितियों तक सीमित नहीं है।

सेवा प्रदाता/विक्रेता सुविधा प्रदाता को कम/अधिक भुगतान जिसके लिए ग्राहक आगे की कार्रवाई करने, कमी को पूरा करने और या पैसा वापसी के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है।

बैंक, किसी अन्य पक्ष द्वारा प्रदत्त सुविधा की जिम्मेदारी नहीं लेता या उसका दावा नहीं करता, न ही बैंक ऐसी किसी सुविधा, और/या इसका जो भी स्तर या प्रतिष्ठा हो, का समर्थन करता है। बैंक केवल एक माध्यम और सहायक है और वह किसी भी तरह सेवा में कमी या खराब सेवा और ऐसे किसी नुकसान, जो ग्राहक को भोगना पड़े या वहन करना पड़े, के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह जोखिम पूर्णतः ग्राहक का है और इसके लिए उसे, अपनी ओर से उचित सावधानी रखनी होगी।

एन.आर.आई./भारतीय मूल के व्यक्ति/विदेशी कम्पनी निकाय ग्राहक खाते के नाम में या उसमें जमा राशियाँ उन प्रतिबन्धों तथा सीमाओं के अधीन भी होंगी जो एन.आर.आई./पी.आई.ओ./ओ.सी.बी. प्रचालित खातों के लिए विनिर्दिष्ट हैं।

बैंक को ग्राहक से उसके द्वारा प्रदत्त इन सेवाओं के शुल्क तथा प्रभार लेने का अधिकार सुरक्षित होगा। बैंक को समय-समय पर इन प्रभारों में संशोधन का अधिकार भी सुरक्षित होगा ।

93. एटीएम कार्ड

एटीएम कार्ड के इस्तेमाल के जरिए लेनदेन हेतु पात्र खाता होने के लिए यदि ग्राहक ने बचत और या चालू खाते और/या बैंक द्वारा ऐसे नामित किसी अन्य प्रकार के खाते का संतोषजनक ढंग से संचालन किया है तो बैंक अपने विवेक से ग्राहक को स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक एटीएम कार्ड (जिसे आगे एटीएम कार्ड कहा गया है) जारी कर सकता है। ग्राहक, एटीएम कार्ड जारी किए जाने के फार्म में, उसके द्वारा धारित ऐसे खातों की वरीयता के बारे में लिखित में देगा। अवयस्क का खाता या वह खाता जिसमें अवयस्क संयुक्त खाता धारक है, एटीएम कार्ड जारी किए जाने हेतु पात्र खाता नहीं है। केवल १८ वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति कार्ड धारक हो सकता है जिसे सम्बन्धित खाते का इस्तेमाल करने का अधिकार है।

एटीएम कार्ड, किसी मान्य ग्राहक को उसके खाते के सम्बन्ध में जारी किया जाएगा ताकि वह एटीएम का इस्तेमाल कर सके।

यदि कोई व्यक्ति किसी खाते का एक मात्र धारक है तो खाता धारक के अनुरोध पर ऐसे खाते के सम्बन्ध में केवल एक कार्ड जारी किया जाएगा और ऐसा कार्ड उस व्यक्ति को जारी किया जाएगा जो उस खाते का एकमात्र धारक है।

यदि किसी व्यक्ति का पूर्ण स्वामित्व वाला प्रतिष्ठान किसी खाते का एकमात्र धारक है तो उस खाताधारक के अनुरोध पर ऐसे खाते के सम्बन्ध में केवल एक कार्ड जारी किया जाएगा और ऐसा कार्ड उस व्यक्ति को जारी किया जाएगा जो उस खाता धारक का पूर्ण स्वामी है।

यदि कोई साझेदारी फर्म किसी खाते की एक मात्र धारक है और यदि खाते का इस्तेमाल उस फर्म में सभी या कुछ साझेदारों द्वारा "दोनों में से एक या उत्तरजीवी" या "कोई भी एक या उत्तरजीवी" के आधार पर (अन्यथा नहीं) किया जाता है तो ऐसे खातों के सम्बन्ध में अधिकतम २ कार्ड जारी किए जाएंगे और ऐसे कार्ड, खाता धारक द्वारा कार्ड के लिए दिए गए आवेदन में यथा उल्लिखित फार्म में एक या एक से अधिक साझेदारों (जो व्यक्ति है/हैं) को जारी किए जाएंगे परन्तु किसी भी साझेदार को तब तक कोई कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह उस सम्बन्धित खाते का इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत न हो और एक ही साझेदार को एक से अधिक कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

यदि कोई कम्पनी या अन्य निगमित निकाय किसी खाते का धारक है और खाता धारक के आवेदन, जिसके साथ कार्ड हेतु आवेदन को प्राधिकृत करने के सम्बन्ध में खाता धारक के बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि (बैंक द्वारा निर्धारित या अनुमोदित प्रयत्र में) लगी हो तथा आवेदन पर कार्ड का आवेदन करने के लिए उक्त संकल्प द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षर हों, तो ऐसे व्यक्ति, जो उक्त खण्ड के तहत कार्ड जारी किए जाने हेतु पात्र है, को प्रति व्यक्ति अधिकतम एक कार्ड जारी किया जाएगा परन्तु ऐसे खाते के सम्बन्ध में कुल २ से अधिक कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे और ऐसे कार्ड, संकल्प में और कार्ड के लिए आवेदन में, ऐसे व्यक्ति, जिसे सम्बन्धित खाते के सम्बन्ध में कार्ड जारी किया जाना है, के रूप में उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को ही जारी किए जाएंगे, परन्तु किसी भी व्यक्ति को तब तक कोई कार्ड जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस सम्बन्धित खाते का इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत न हो।

यदि हिन्दु संयुक्त परिवार किसी खाते का एक मात्र धारक है तो हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित, खाता धारक के आवेदन पर ऐसे खाते के सम्बन्ध में केवल एक कार्ड जारी किया जाएगा और ऐसा कार्ड हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता को जारी किया जाएगा।

यदि कोई अन्य निकाय या एसोसिएशन किसी खाते का एक मात्र धारक है और बैंक की नीति उस समय ऐसे खाते के सम्बन्ध में कार्ड जारी करने की अनुमति देती है तो ऐसी शर्तों के पालन के अधीन, जो बैंक द्वारा निर्धारित की गई हो, बैंक, ऐसे व्यक्तियों को उतनी संख्या में कार्ड जारी कर सकता है जो बैंक की नीति के तहत अनुमत्य हो।

संयुक्त खाते : संयुक्त खातों के सम्बन्ध में कार्ड ऐसे किसी भी या सभी व्यक्तियों को उक्त निबंधन एवं शर्तों पर जारी किया जाएगा जो "दोनों में से एक या उत्तरजीवी" या "कोई भी एक या उत्तरजीवी" आधार पर खाते का इस्तेमाल करने का हकदार हो, परन्तु यदि कोई साझेदार फर्म, कम्पनी या अन्य निगमित निकाय संयुक्त खाता धारक है तो ऐसे खाते के सम्बन्ध में अधिकतम दो कार्ड जारी किए जाएंगे।

यदि उक्तरोक्तानुसार उस खाताधारक को कार्ड जारी कर दिया गया है बैंक, बाद में कोई पात्रता न रहने की स्थिति में या इस बारे में इस आशय का पता लगने पर कार्ड वापिस ले सकता है और उसे रद्द कर सकता है कि कोई कार्ड धारक, कार्ड रखने का पात्र नहीं है।(खाते के इस्तेमाल सम्बन्धी हिदायतों में कोई अन्तर होने सहित)

१३.१ एटीएम सम्बन्धी सुविधा

एटीएम सुविधा के तहत उपलब्ध सुविधाओं में, कार्ड धारक द्वारा अपने खाता से २४ घण्टे के चक्र के दौरान केवल निर्धारित राशि सीमा तक नकद पैसा निकालना, खाते में नकद तथा चेक जमा करना, खाते/खातों में शेष पता करना, खाता-विवरण के लिए नकद/चेक जमा मांग, नए पी आई एन के लिए अनुरोध, चेक बुक जारी करने का अनुरोध, मुख्य खाते से गौण खाते में और गौण खाते से मुख्य खाते में धन के

अन्तरण का अनुरोध तथा अन्य ऐसी सुविधाएं शामिल हैं जो बैंक समय समय पर उपलब्ध कराने का निर्णय करे।

१३.२ मुख्य खाते में न्यूनतम शेष

कार्डधारक हमेशा अपने खाते में कम से कम उतना शेष रखेगा जो बैंक समय-समय पर निर्धारित करे और बैंक, अपने विवेक पर, समय-समय पर बैंक के नियमों के अनुसार दण्ड या सेवा प्रभार लगा सकता है या कार्डधारक को कोई और नोटिस दिए बिना और / या ऐसे नकद पैसा निकालने के कारण किसी दायित्व या जिम्मेदारी के लिए बिना कभी भी जमा राशि, उक्त अपेक्षित न्यूनतम शेष से कम हो जाती है तो एटीएम सुविधा वापिस ले सकता है।

१३.३ शुल्क

इस समय ग्राहक को पहला, एटीएम कार्ड निःशुल्क जारी किया जाता है। साथ ही स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक एटीएम के जरिए किए गए किसी लेनदेन के लिए कोई प्रभार नहीं लिए जाते हैं। तथापि, बैंक ग्राहक को पूर्व सूचना देकर भविष्य में एटीएम सुविधाओं के लिए ग्राहक से शुल्क ले सकता है।

१३.४ बैंक का ग्रहणाधिकार

बैंक को, एक या संयुक्त नाम से कार्डधारक के मुख्य और/या गौण खातों या किसी अन्य खातों में रखी जमा राशियों से, प्रदान की गई और/या कार्डधारक द्वारा उपभोग की गई एटीएम कार्ड सेवाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बकाया देयताओं के संबंध में उतनी राशि के बराबर की राशि की पूर्ति करने और उसे ग्रहण, चाहे कोई अन्य ग्रहणाधिकार या प्रभार लगाने का अधिकार हो या न हो; करने का अधिकार होगा।

१३.५ अनेक कर्तों के संबंध में

'दोनों में से एक या उत्तरजीवी'/'कोई भी एक या उत्तरजीवी' की व्यवस्था वाले संयुक्त खाते/खातों के मामले में जब एक से अधिक व्यक्तियों को कार्ड जारी किए गए हैं तो सभी कार्डधारक मिलकर २४ घण्टे के चक्र के दौरान केवल उस अनुमत्य सीमा तक धन निकाल सकता है जो एकल कर्तों खाते के लिए अनुमत्य है।

१३.६ संयुक्त खातों के मामले में जब किसी संयुक्त खाता धारक को केवल एक कार्ड जारी किया गया हो तो दूसरा खाताधारक, एटीएम कार्ड जारी करने के लिए आवेदन पत्र में विषेय रूप से अपनी सहमती देगा। यदि संयुक्त खाताधारकों में

कोई भी खाताधारक उनके किसी भी संयुक्त खाते के सम्बंध में ए.टी.एम. कार्ड द्वारा पैसा निकालने के बारे में "भुगतान रोक दें, लेनदेन रोक दें" कि हिदायतें देता है तो एटीएम कार्ड द्वारा उक्त खातों से कोई भी लेनदेन नहीं करने दिया जाएगा। "भुगतान रोक दें, लेनदेन रोक दें" कि हिदायतें केवल ऐसे खातों के सम्बंध में दी जा सकती है जिनमें हिदायतकर्ता संयुक्त खाताधारक हो।

१३.७ अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई) खाते

एन.आर.आई द्वारा एटीएम में पैसा साधारण स्थिति में जमा नहीं किया जाएगा। इसके लिए एन.आर.आई के लिए अनुमत्य प्रत्येक विधिगत खाते के लिए दी जाने हेतु यथा अपेक्षित समुचित घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है और साथ ही जमा की जाने वाली राशि का अनुमत्य मुद्रा में होना भी जरूरी है। उक्त भुगतान करने का तरीका निर्धारित नियमों तथा सीमाओं के अनुसार होगा। नकद जमा राशियों के सम्बंध में आर.बी.आई की अपेक्षा के अनुसार एटीएम विषय में पैसा जमा कराने के समय यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इस समय एन.आर.आई वास्तव में कहा है, बैंक उस स्थिति में अनुरोध किए गए क्रेडिट को मना कर सकता है जब ऐसा करना आर.बी.आई के मानदण्डों / भारतीय कानूनों के विपरित हो और बैंक ऐसे अतिरिक्त कागजों की मांग कर सकता है जो बैंक उचित समझे।

१३.८ राशि उपलब्धता तिथि

कार्य समय की समाप्ति के बाद किए गए सभी नकद लेनदेन, खाता धारक के खाते में चढ़ा दिए जाएंगे और उस प्रविष्टि दिन (बैंक की नीति के अनुसार) को राशि उपलब्धता तिथि माना जाएगा।

१३.९ अहस्तांतरणीयता

किसी भी स्थिति में एटीएम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता और इसका इस्तेमाल केवल कार्ड धारक द्वारा किया जाएगा। खाता धारक, प्रत्येक कार्ड धारक के किसी भी कृत्य-अकृत्य के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा।

१३.१० व्यक्तिगत पहचान नम्बर (पी.आई.एन)

प्रत्येक कार्ड धारक को मुहरबंद लिफाफे में 'व्यक्तिगत पहचान नम्बर' नाम से चार अंकों का एक नम्बर दिया जाएगा जिससे कार्ड धारक एटीएम सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेगा। कार्ड धारक द्वारा एटीएम में इस नम्बर के बजाय चार अंकों वाला कोई दूसरा सुविधाजनक नम्बर प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में उक्त 'पिन' किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताया जाएगा। कार्ड धारक के उक्त 'पिन' के किसी को पता चलने और/या एटीएम के अनधिकृत इस्तेमाल से होने वाले परिणामों के लिए पूर्णतः कार्ड धारक जिम्मेदार होगा और वह ऐसी किसी अतिरिक्त देयता के लिए जिम्मेदार होगा जो उसे 'पिन' तथा ए.टी.एम. कार्ड के अनधिकृत इस्तेमाल के कारण वहन करनी पड़े। यदि कार्ड धारक 'पिन' का नम्बर भूल जाता है तो उसे नए 'पिन' के लिए लिखित में आवेदन करना चाहिए। नए व्यक्तिगत पहचान नम्बर का चयन और / या एटीएम कार्ड के बदलने को नया अनुबंध होना नहीं माना जाएगा।

१३.११ खातों में निधियां

यदि कार्ड धारक, कार्ड से कोई लेनदेन करना चाहता है तो उसे उस समय कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इस्तेमाल का प्रयास नहीं करना चाहिए जब खाते में पर्याप्त निधियां न हों।

१३.१२ कार्ड गुम / चोरी होना

कार्ड धारक, एटीएम कार्ड की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा कार्ड गुम होने/चोरी होने की स्थिति में कार्डधारक हमारी किसी भी शाखा को और जहां तक हो सके कार्ड जारी करने वाली शाखा को किसी भी तरह एटीएम कार्ड गुम होने के बारे में यथा संभव तत्काल लिखित में बताएगा। तथापि, कार्डधारक उक्त कार्ड बरामद किए जाने / रद्द किए जाने तक कार्ड का इस्तेमाल करने वाले द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के लिए जिम्मेदार तथा उत्तरदायी होगा। कार्डधारक को, गुम हुए चोरी हुए एटीएम कार्ड की जगह दूसरा एटीएम कार्ड, लिखित में अनुरोध करने तथा दूसरा कार्ड जारी करने संबंधी शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाएगा।

१३.१३ खाते में नाम डालने का अधिकार

कार्डधारक, तथा संयुक्त खाताधारक, यदि कोई हो, बैंक को, उसके रिकार्ड के अनुसार बैंक को एटीएम कार्ड से निकाले गए धन या अन्तरित किए गए धन को उस खाते के नामे डालने का अधिकार देगा। एटीएम मशीन द्वारा संसाधित लेनदेन के सम्बंध में बैंक का रिकार्ड, सभी संयुक्त खाताधारकों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से मान्य होगा।

१३.१४ जमा राशियां

नकद / चेक से जमा राशियों का सत्यापन, बैंक स्टाफ के दो सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिनमें से एक सदस्य अधिकारी होगा। बैंक द्वारा सत्यापित राशि को, कार्ड धारक द्वारा जमा की गई सही राशि माना जाएगा। जमा करने के समय ए.टी.एम. द्वारा जो विवरण जारी किया जाएगा और वह केवल इस बात को दर्शाएगा की कार्ड धारक ने उतनी राशि जमा करवाना चाही है और यह राशि स्वीकार करना बैंक के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। यदि उक्त जमा राशि में गन्दे या कटे-फटे नोट आते हैं तो ऐसी जमा राशि को स्वीकार करना, नोट वापसी नियमावली के अनुसार आर बी आई द्वारा अंतिम रूप से स्वीकरण तथा भुगतान के अध्याधीन होगा। चेकों को समाहरण के लिए ही स्वीकार किया जाएगा और उनकी प्राप्तियां तब तक नहीं दी जाएंगी जब तक की उनका समाशोधन नहीं हो जाता। विदेशी मुद्रा में नकद / चेकों / गन्दे/कटे-फटे नोटों की जमा राशियों या अन्य ऐसी किसी राशि, जो स्वीकार्य न हो, को कार्ड धारक की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर लौटा दिया जाएगा।

१३.१५ एटीएम से किए गए सभी लेनदेनों की जिम्मेदारी

कार्ड धारक के खाते / खातों से एटीएम सुविधा के जरिए लेनदेन, केवल मशीन में एटीएम कार्ड के इस्तेमाल से ही किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में कार्डधारक उसके एटीएम कार्ड के इस्तेमाल से किए गए सभी लेनदेनों, चाहे ये कार्डधारक की जानकारी या अधिकार, अभिव्यक्त या मौन, से किए गए हो या नहीं, की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा।

मुद्रित उत्पाद, जो एटीएम के इस्तेमाल के समय उत्पन्न होता है, एटीएम के इस्तेमाल का रिकार्ड है तथा इसे बैंक का रिकार्ड नहीं समझ लेना चाहिए। बैंक के लेनदेन के रिकार्डों को सभी प्रयोजनों के लिए निर्णायक एवं बाध्यकारी के रूप में स्वीकार्य किया जाएगा।

१३.१६ खाता (खातों) को बंद करना

यदि कार्डधारक अपना खाता बंद करना चाहता है या किसी संबद्ध जमा राशि को आहरित करना चाहता है, या एटीएम कार्ड की सुविधा का प्रयोग समाप्त करने का अन्यथा निर्णय लेता है, तो वह कम से कम दो दिन का लिखित नोटिस देगा तथा बैंक को एटीएम कार्ड लौटाएगा। एटीएम सुविधा के सिलसिले में यदि कोई देनदारी होगी, तो कार्डधारक उसका भी बैंक को भुगतान करेगा।

१३.१७ शर्तों में परिवर्तन

बैंक के पास किसी भी समय कार्डधारक को पूर्व सूचना के बिना एटीएम कार्ड, इसके द्वारा प्रदत्त सेवा को वापस लेने, अथवा उपयुक्त शर्तों में से किसी को संशोधित या संपूरित करने का पूर्ण विवेकाधिकार है।

१३.१८ कार्ड का सम्मान करना

यदि किसी भी कारण से एटीएम कार्ड का वांछित ढंग से सम्मान नहीं किया जाता है, या यदि एटीएम नष्ट हो जाता है या बिजली न होने, एटीएम में नकद की अस्थायी अपर्याप्तता या किसी अन्य कारण से यह काम नहीं करता है, तो बैंक को किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इससे उत्पन्न किसी परिणामी या परोक्ष नुकसान या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

बैंक द्वारा ग्राहक को कार्ड की सुविधा प्रदान किए जाने को ध्यान में रखते हुए, ग्राहक हमेशा क्षतिपूर्ति करने और सभी कार्रवाइयों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, नुकसानों, क्षतियों, लागतों, प्रभावों और किसी भी प्रकार के और किसी के द्वारा किए गए खर्चों जो बैंक को ग्राहक की कार्ड की उक्त सुविधा प्रदान करने के परिणामस्वरूप और/अथवा के कारण से और/अथवा के कारण से संपन्न होने की बदौलत और/अथवा बैंक द्वारा सद्भावना से कार्य करने, ग्राहक के अनुदेशों पर और/अथवा कार्ड की सुविधा के उपयोग के कारण कार्रवाई करने अथवा कार्रवाई करने से मना करने अथवा कार्रवाई छोड़ देने के फलस्वरूप बैंक को सुरक्षित और नुकसान से वंचित रखने की सहमति प्रदान करता है।

एटीएम के इस्तेमाल के दौरान त्रुटियां आ सकती हैं। खाता धारक तथा कार्ड धारक सहमत हैं कि बैंक ऐसी त्रुटियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा ऐसी किसी त्रुटि के लिए वे बैंक की रक्षा करने का वचन देते हैं।

इसके अलावा, खाता धारक मानते एवं स्वीकार करते हैं कि बैंक एटीएम में किसी यांत्रिक खराबी/विफलता और/या नकदी की अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न और एटीएम के माध्यम से किसी अनधिकृत लेनदेन की स्थिति में भी किसी जिम्मेदारी से मुक्त है।

१३.१९ एटीएम कार्ड का स्वामित्व

एटीएम कार्ड बैंक की संपत्ति होंगे तथा मांगे जाने पर या ऐसी स्थिति में यह बैंक को लौटाया जाएगा जब कार्डधारक सेवा नहीं लेना चाहेगा। बैंक अन्य संस्थाओं को कार्डधारक के खाते के संबंध में ऐसी सूचनाओं को पूर्णतः गुप्त ढंग से प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो किसी एटीएम या इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण नेटवर्क में इसकी भागीदारी के सिलसिले में आवश्यक या उपयुक्त हो सकती हैं।

१३.२० स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एटीएम का प्रयोग

बैंक अकेले अपने विवेक पर, बैंक के परिसरों/मशीनों/उपकरणों पर सुविधाओं के अक्सेस/उपस्थिति/प्रयोग का वीडियो टेप तैयार कर सकता है या कैमरे में रिकार्ड कर सकता है तथा किसी कार्यवाही में बैंक साक्ष्य के रूप में ऐसी क्लिपिंग के फुटेज पर भरोसा कर सकता है, तथा ऐसा मान लिया जाता है कि कार्डधारक ने इसके लिए अपनी सहमति दी है।

एटीएम नकद बैंक जमा संबंधी सभी लेनदेन की अर्हक रसीद उत्पन्न करेगा तथा कोई अन्य रसीद जारी नहीं की जाएगी।

नकद एवं बैंक जमा से संबंधित सभी लेनदेन बैंक द्वारा सत्यापन/वसूली के अधीन होंगे तथा बैंक के विवरण में यथा प्रतिबिंबित सत्यापित/वसूली गई यह राशि खाता धारक (धारकों) कार्डधारक (धारकों) के लिए बाध्यकारी होगी।

अगर कार्डधारक किसी एटीएम में उस शाखा से भिन्न शाखा में बैंक जमा करता है जिसमें उसका खाता है, तो संग्रहण के लिए बैंक के विवेक पर बैंक को खाता अनुरक्षण शाखा में अग्रहित किया जा सकता है।

कटे-फटे या गंदे नोटों का निक्षेप बैंक के विवेक/आरबीआई द्वारा अंतिम स्वीकृति/प्रतिपूर्ति के अधीन होगा।

विदेशी मुद्रा या अन्यथा अस्वीकार्य समझे गए, से संबंधित निक्षेप को प्रभावी नहीं किया जाएगा तथा खाताधारक/कार्डधारक की लागत, जोखिम एवं जिम्मेदारी पर उसे वापस कर दिया जाएगा। निक्षेप में विसंगति होने पर समूचा लेनदेन अकृत एवं शून्य हो जाएगा तथा खाता धारक के खाते में कोई राशि क्रेडिट नहीं की जाएगी। ग्राहक को विसंगति से अवगत कराया जाएगा तथा लेनदेन को दुरुस्त करने या निक्षेप की गलत राशि लेने की जिम्मेदारी उसकी होगी। बैंक किसी बैंक के लौट आने या किसी भी ढंग से ऐसे विसंगतिपूर्ण लेनदेन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

अनुरक्षण: यद्यपि जहाँ भी एवं जब भी संभव होगा, किसी ऐसे बड़े अनुरक्षण कार्य की अग्रिम सूचना दी जाएगी जिससे सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित होने की संभावना होगी, फिर भी बैंक किसी भी समय किसी सूचना के बिना, बैंक के एटीएम का अक्सेस

या सभी या किसी सेवा के प्रावधान को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि बैंक ऐसा करना आवश्यक समझता है, चाहे यह नेमी अनुरक्षण के लिए हो या किसी अन्य कारण से।

१३.२१ पिन की सुरक्षा करना

ग्राहक का एक अनोखा पता

ग्राहक द्वारा पिन को हमेशा पूर्णतः गुप्त रखा जाना चाहिए। ग्राहक को सुनिश्चित करना चाहिए कि एटीएम/ईडीसी/पीओएस में डालते समय पिन को कोई और न देखे। पिन की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तथा ग्राहक किसी को पिन प्रकट नहीं करेगा। पिन गोपनीय है तथा इसका उद्देश्य कार्ड के प्रयोग को केवल कार्डधारक तक सीमित करना है।

पिन का प्रयोग करके किए गए सभी लेनदेन खाता धारक (धारकों) की जिम्मेदारी होंगे तथा खाताधारक बैंक द्वारा यथा उत्पन्न लेनदेन के रिकार्ड का पालन करेगा/करेंगे।

बैंक एटीएम कार्ड के दुरुपयोग के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि पिन तथा एटीएम पर संपन्न किए गए किसी लेनदेन की आवश्यक बातें केवल ग्राहक को ज्ञात हैं।

१३.२२ बैंक के अन्य अधिकार

एटीएम से लेनदेन के कारण खाते से अधिक पैसा निकल जाने की स्थिति में, बैंक कोई पूर्व सूचना देने के बाद अधिक निकाली गई ऐसी राशि के विरुद्ध खाता धारक (धारकों) के किसी खाते में किसी क्रेडिट का प्रतितुलन करने या विनियोजन करने के लिए हकदार होगा।

बैंक हर समय पूरी सेवा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा किंतु जहां यह नियंत्रण से परे कारणों से ऐसा करने में असमर्थ है वहां जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। यदि कोई कार्डधारक कार्ड का प्रयोग करने से संबंधित कार्डधारक के प्राधिकार को वापस लेना चाहता है, तो कार्डधारक से कार्ड वापस लेने तथा कार्ड को निरस्त करने के लिए बैंक के संबंधित विभाग को लिखित में अनुदेश देने की जिम्मेदारी खाताधारक की होगी। बैंक के संबंधित विभाग द्वारा ऐसा लिखित अनुदेश प्राप्त किए जाने के बाद दूसरे कार्य दिन को कार्य श्रद्धों के समाप्त होने तक कार्ड के प्रयोग के अनुसरण में सभी प्रचालनों के लिए खाताधारक जिम्मेदार होगा। कार्ड के अनुचित प्रयोग की स्थिति में कार्ड को “हॉटलिस्ट” करने या एटीएम सुविधा का दुरुपयोग होने की स्थिति में “कार्ड की गुमशुदगी” की सूचना मिलने पर कार्ड के प्रयोग को अस्थायी रूप से अनानुमत करने का अधिकार बैंक सुरक्षित रखता है।

१४. इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी)

बैंक ईएफटी के लिए आरबीआई द्वारा विहित किए गए लागू नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

१४.१ ग्राहक के अधिकार एवं दायित्व

ग्राहक ईएफटी अनुरोध में दिए गए ब्यौरों की सटीकता के लिए जिम्मेदार होगा।

यदि बैंक ने सदाशयता में तथा सुरक्षा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ईएफटी अनुरोध को निष्पादित किया है, तो ग्राहक बैंक द्वारा निष्पादित किसी ईएफटी अनुरोध से बंधा होगा।

बैंक द्वारा ईएफटी अनुरोध के निष्पादन से पूर्व ग्राहक ईएफटी अनुरोध पर सम्यक रूप से लागू अपने खाते में निधियों की उपलब्धता का सुनिश्चय करेगा। तथापि, जहां बैंक ग्राहक के खाते में सम्यक रूप से लागू निधियों की उपलब्धता के बिना ईएफटी अनुरोध को निष्पादित करता है, ग्राहक अपने खाते से डेबिट की गई ऐसी राशि का बैंक को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा जिसके लिए उसके ईएफटी अनुरोध के अनुसरण में बैंक द्वारा ईएफटी निष्पादित किया गया। साथ ही वह बैंक को संदेय ब्याज समेत प्रभारों का भी भुगतान करेगा।

ग्राहक सहमत है कि जब बैंक द्वारा ईएफटी अनुरोध को निष्पादित कर दिया जाता है, तो यह असंशोध्य बन जाएगा।

ग्राहक सहमत है कि वह आरबीआई की ईएफटी योजना में किसी पक्ष के खिलाफ कोई दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा।

१४.२ बैंक के अधिकार एवं दायित्व

ग्राहक द्वारा जारी एवं सुरक्षा प्रक्रिया द्वारा सत्यापित के रूप में उसके द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित ईएफटी अनुरोध को बैंक निष्पादित करेगा, जब तक कि:

ग्राहक के खाते में उपलब्ध निधियां अपर्याप्त नहीं हैं या ईएफटी अनुरोध का पालन करने के लिए सम्यक रूप से लागू नहीं है तथा ग्राहक ने भुगतान के दायित्व को पूरा करने के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं की है।

ईएफटी अनुरोध अधूरा है तथा यह सहमत फार्म में जारी नहीं किया गया है।

ईएफटी अनुरोध को किसी विशेष परिस्थिति की सूचना के साथ संलग्न किया गया है।

ऐसा विश्वास करने के लिए बैंक के पास कारण है कि कोई गैर-कानूनी लेनदेन संपन्न करने के लिए ईएफटी अनुरोध जारी किया गया है।

ईएफटी अनुरोध को आरबीआई की ईएफटी योजना के अंतर्गत निष्पादित नहीं किया जा सकता।

जब तक बैंक द्वारा स्वीकार न किया गया हो, ग्राहक द्वारा जारी किया गया कोई भी ईएफटी अनुरोध बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगा।

बैंक द्वारा निष्पादित प्रत्येक ईएफटी अनुरोध के निष्पादन पर, बैंक निधि अंतरण की राशि तथा उस पर संदेय ब्याज ग्राहक के निर्दिष्ट खाते से डेबिट करने का हकदार होगा, खाते में पर्याप्त अधिशेष हो या न हो।

१४.३ अंतरण की शर्तें

पारोषण सुपुर्दगी में विलंब या इलेक्ट्रानिक संदेशों की गैर-सुपुर्दगी, या किसी भी कारण से इसके पारोषण या सुपुर्दगी में या संदेश का अर्थ निकालने (डीसाइफरिंग) में किसी गलती, चूक, या त्रुटि से या इसकी प्राप्ति की गलत व्यवस्था या गंतव्य बैंक की कार्रवाई या नियंत्रण से परे किसी कार्रवाई से उत्पन्न या प्रोद्भूत किसी नुकसान या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। कट-आफ समय के बाद प्राप्त संदेशों को अगले कार्य दिवस को भेजा जाएगा।

लाभग्राही बैंक द्वारा लगाए गए/प्रभारित किए गए किसी प्रभार/कमीशन के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

१५. इलेक्ट्रानिक बैंकिंग

ग्राहक द्वारा बैंक की शाखा के साथ प्रत्यक्ष वैयक्तिक इंटरफेस से भिन्न जैसे टेलीफोन, एटीएम (स्वचालित टेलर मशीन), पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल), ईडीएस (इलेक्ट्रानिक डाटा कैचर टर्मिनल्स), इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल फोन, फैक्स, कियोस्क या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर संपन्न/प्राप्त किए गए सभी बैंककारी लेनदेनों एवं सेवाओं को "इलेक्ट्रानिक बैंकिंग" कहा जाता है। उपर्युक्त सुविधाएं केवल ग्राहक की सुविधा के रूप में प्रदान की जाती हैं तथा ग्राहक अपने जोखिम पर यह सुविधा प्राप्त कर सकता है तथा यह कि बैंक के पास खाता रखकर और/या इस सुविधा का प्रयोग करके ग्राहक, इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के ऊपर, बैंक द्वारा संपन्न किए गए या संपन्न न किए गए किसी लेनदेन का प्रतिवाद न करने के लिए बिना शर्त सहमत है, तथा किसी आपत्ति या प्रतिरोध के बिना बैंक द्वारा अनुरक्षित लेनदेन के रिकार्ड को स्वीकार करेगा, तथा इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के ऊपर संपन्न किए गए या संपन्न न किए गए किसी लेनदेन से उत्पन्न किसी नुकसान या उसके परिणामों के विरुद्ध बैंक को नुकसान रहित एवं आरोप रहित रखेगा। उपर्युक्त पृष्ठभूमि के विरुद्ध, ग्राहक इलेक्ट्रानिक बैंक के विभिन्न चैनलों के ऊपर बैंक द्वारा प्रदत्त किसी सेवा का उपयोग कर सकता है। इन शर्तों में अन्यत्र उल्लिखित शर्तों एवं विशेषताओं के अलावा, कुछ अतिरिक्त शर्तों एवं विशेषताओं तथा उन बातों का नीचे उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर बैंक द्वारा इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के चैनलों पर सेवाएं पेश की जाती हैं-

१५.१ सूचना की सटीकता

इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के प्रयोग के माध्यम से अथवा इलेक्ट्रानिक मेल या लिखित पत्र जैसे किसी अन्य साधन के माध्यम से बैंक को आपूर्त सूचना की सटीकता के लिए अकेले ग्राहक जिम्मेदार है। ग्राहक द्वारा आपूर्त त्रुटिपूर्ण, गलत या अधूरी सूचना से उत्पन्न किसी परिणाम के लिए बैंक कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। यदि ग्राहक संदेह करता है कि उसके द्वारा बैंक को आपूर्त की गई सूचना में कोई त्रुटि है, तो वह बैंक को यथाशीघ्र सलाह देगा। बैंक "सर्वोत्तम प्रयास" के आधार पर जहां संभव होगा वहां गलती को ठीक करने का प्रयास करेगा। विवरणों के सभी उत्पाद खाता का डुप्लीकेट विवरण हैं तथा इलेक्ट्रानिक माध्यमों से तैयार किए जाएंगे तथा उनमें निहित सूचनाएं बैंक द्वारा अपने कारोबार के साधारण क्रम में अनुरक्षित कंप्यूटरीकृत बैंकअप सिस्टम से प्राप्त की जाएंगी। यद्यपि बैंक विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी तर्कसंगत कदम उठाएगा, बैंक किसी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है। ग्राहक किसी ऐसे नुकसान, क्षति आदि के विरुद्ध बैंक को नुकसान रहित रखेगा जो ग्राहक द्वारा ऐसी स्थिति में वहन किया जा सकता है जब उपर्युक्त उत्पादों में निहित सूचना गलत/असटीक/अधूरी पाई जाती है।

१५.२ बैंक का प्राधिकार

ग्राहक के खाता (खातों) में इलेक्ट्रानिक बैंकिंग संबंधी लेनदेन ग्राहक एवं बैंक के बीच सहमत सुरक्षा कोडों के प्रमाणन के बाद ही अनुमत होता है। ग्राहक (संयुक्त खाताधारक (धारकों), यदि कोई हो, के साथ) इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के माध्यम से स्वयं द्वारा संपन्न किए गए बैंककारी लेनदेन करने के लिए बैंक को स्पष्ट प्राधिकार प्रदान करता है। प्राप्त या ग्राहक आईडी एवं सुरक्षा कोड का इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक से सत्यापन करने के भिन्न माध्यमों से इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के जरिए ग्राहक द्वारा भेजे गए का आभास कराने वाले किसी लेनदेन की प्रमाणिकता सत्यापित करने के संबंध में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ग्राहक से कोई और लिखित या अन्य संचार प्राप्त किए बिना उपर्युक्त प्रमाणन के बाद बैंक इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त अनुदेशों पर कार्रवाई करने के लिए हकदार है, भले ही वे अनुदेश ग्राहक द्वारा वस्तुतः न दिए गए हों या अधिकृत न किए गए हों।

कंप्यूटर प्रणालियों या अन्यथा के माध्यम से अनुरक्षित लेनदेन के संबंध में केवल बैंक का अपना रिकार्ड ही बैंक द्वारा निर्णायक के रूप में स्वीकार्य होगा तथा सभी प्रयोजनों के लिए बैंक एवं ग्राहक पर बाध्यकारी होगा। संयुक्त खाते को प्रचालित करने के लिए, इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के प्रयोग से उत्पन्न सभी लेनदेन संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग सभी संयुक्त खाता धारकों पर बाध्यकारी होगा। संयुक्त हैसियत से धारित किसी खाता के सिलसिले में जहां खाता के इस्तेमाल के लिए दो या इससे अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं की जरूरत है, खाताधारक सेवा के केवल ऐसे भाग का उपयोग करने में समर्थ होंगे जो ग्राहक को खाता के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए अनुमत करता है, जिसमें खाता की अधिशेष राशि के बारे में सूचना प्राप्त करना शामिल है लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है।

१५.३ प्रभार

बैंक द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रानिक बैंकिंग की सेवाओं के प्रयोग के लिए ग्राहक फीस एवं प्रभार लगाने का अधिकार बैंक सुरक्षित खाता है। बैंक केवल अपने विवेक पर समय-समय पर ऐसे प्रभारों में संशोधन करने का हकदार होगा।

१५.४ ग्राहक की जिम्मेदारी/बैंक के अधिकार

बैंक इलेक्ट्रानिक बैंकिंग सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा इसके अनधिकृत अक्सेस को रोकने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकता है जिसे यह उपयुक्त समझेगा, तथापि यह सर्वसम्मत है कि प्रौद्योगिकी के सुस्पष्ट या हेराफेरी मुक्त होने संबंधी गुणों का सत्यापन करने और/या किसी खास समय पर उपलब्ध अद्युनातन प्रौद्योगिकी से मेल स्थापित करने का कोई तरीका नहीं है। ग्राहक इस पूर्ण जानकारी के साथ इलेक्ट्रानिक बैंकिंग का प्रयोग करेगा कि यह सुरक्षित माध्यम नहीं है इसलिए इस माध्यम

से सभी लेनदेन ग्राहक के जोखिम पर होंगे, तथा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पर किए गए किसी लेनदेन या इसके किसी नुकसान या परिणाम, चाहे जो भी हों, के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है/होगा।

ग्राहक से प्राप्त अनुदेशों के आधार संपन्न किए गए या संपन्न न किए गए और/या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पर उसके खाते में गलत ढंग से/अपूर्ण ढंग से संपन्न किए गए किसी लेनदेन से हुए सभी नुकसानों एवं परिणामों के लिए ग्राहक अकेले एवं पूर्णतः जिम्मेदार होगा। ग्राहक का कोई दावा नहीं बनेगा यदि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अक्सेस चाहे जिस कारण से वांछित ढंग से उपलब्ध नहीं है जिसमें बाढ़, आग एवं अन्य प्राकृतिक आपदाएं, कानूनी प्रतिरोध, दूरसंचार नेटवर्क में फाल्ट या इंटरनेट या नेटवर्क की विफलता, साफ्टवेयर या हार्डवेयर त्रुटि या कोई ऐसा अन्य कारण शामिल है जो बैंक के नियंत्रण से परे है लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है। उसे छोड़कर जहां बैंक की पूर्ण लापरवाही हो, अर्थात् ऐसी घटनाएं या कृत्य जिनका कारण इसकी अपनी चूक है, या उचित देखरेख का अभाव है, यह किसी भी परिस्थिति में किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे ऐसी क्षति प्रत्यक्ष, परोक्ष, या परिणामी हो और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कोई दावा राजस्व की क्षति, निवेश, उत्पादन, सदाशयता, लाभ, कारोबार में व्यवधान या किसी स्वरूप या प्रकृति के किसी अन्य क्षति पर आधारित है और संपन्न किए गए या संपन्न न किए गए और/या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के किसी माध्यम की अनुपलब्धता या आंशिक उपलब्धता के कारण और/या एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की किसी गुमशुदगी/दुरुपयोग और/या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ग्राहक के पासवर्ड (पासवर्डों) के प्रयोग के कारण ग्राहक को या किसी अन्य व्यक्ति को हुआ। लेनदेन संबंधी जोखिम ग्राहक की जिम्मेदारी होगी, लेकिन उसे छोड़कर जिनका यहां ऊपर बैंक की जिम्मेदारी के रूप में उल्लेख किया गया है। ऐसे मामलों में जहां बैंक को विश्वास दिलाया जाता है कि कोई अनुदेश ग्राहक द्वारा सम्यक रूप में अधिकृत नहीं हो सकता, यह जांच करने के बाद कि क्या अनुदेश सम्यक रूप से अधिकृत था, बैंक उस अनुदेश के आधार पर उठाए गए किसी कदम को पलटने के लिए कदम उठाने हेतु हकदार होगा। ऐसे उत्क्रमणों के कारण ग्राहक को हुए किसी नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

१५.५ लेनदेन की प्रोसेसिंग

कतिपय ऐसी सुविधाएं/सेवाएं/लेनदेन तुरंत संपन्न किए जा सकते हैं जिन्हें बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के ऊपर प्रस्तुत किया जा सकता है। तथापि अपेक्षित प्रणालियों की विफलता और/या बैंक द्वारा इनको बंद किए जाने के कारण, जो बैंक का अकेला एवं निरपेक्ष विवेक होगा तथा ऐसी सीमाओं एवं प्रतिबंधों के अधीन भी होगा जिनका इस दस्तावेज में अन्यत्र उल्लेख किया गया है, ऐसी सुविधाओं/सेवाओं/लेनदेन को हर समय तुरंत प्रभावी नहीं किया जा सकता या तुरंत अथवा अन्यथा संपन्न करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। हमेशा यह प्रावधान होगा कि भुगतान रोकने, डिमांड ड्राफ्ट संबंधी अनुरोध और/या गैर-अविलंब लेनदेन जैसे सावधि जमा खाता खोलना आदि के लिए सभी अनुरोधों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर डेबिट के लिए अधिकृत खाते में स्पष्ट निधियों की उपलब्धता तथा बैंक की प्रणाली के पूर्णतः क्रियाशील होने के अधीन ऐसे अनुरोधों के प्राप्त होने की तारीख से दो कार्य दिवस के भीतर किसी भी समय संपन्न किया जाएगा। भुगतान रोकने संबंधी अनुरोधों तथा

१५.६ सूचना का रिकार्ड

ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की सुविधा जिन चैनलों पर प्राप्त की जाती है उनकी कुछ अंतर्निहित विशेषताओं के कारण, ग्राहक ऐसे लेनदेन का प्रिंट लेने में समर्थ हो सकता है जिसे प्रभावी बनाने के लिए ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पर प्रयास किया गया। तथापि केवल बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्ड बैंक पर बाध्यकारी होगा तथा ग्राहक द्वारा लिए गए प्रिंट एवं बैंक के रिकार्ड में कोई विरोधाभास होने की स्थिति में, बैंक का रिकार्ड मान्य होगा।

१५.७ साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की सेवाओं का लाभ उठाने एवं प्रयोग करने तथा बैंक के सिस्टम से सुसंगत होने के लिए ग्राहक समय-समय पर अपने खर्च पर यथा लागू सभी साफ्टवेयर एवं कंप्यूटर एवं संचार सिस्टम खरीदेंगे, अनुरक्षित करेंगे और अपडेट/अपग्रेड करेंगे। बैंक को समय-समय पर अपना साफ्टवेयर, हार्डवेयर, आपरेटिंग सिस्टम आदि बदलने, भिन्न करने या अपग्रेड करने की स्वतंत्रता होगी तथा ग्राहक के साफ्टवेयर, हार्डवेयर, आपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा तथा यह कि यह केवल ग्राहक/प्रयोक्ता की जिम्मेदारी होगी। बैंक किसी ऐसे नुकसान के लिए देनदार नहीं होगा जिसे ग्राहक सेवा साफ्टवेयर एवं किसी कंप्यूटर या अन्य डिवाइस जिससे ग्राहक सेवा को अक्सेस करता है, के बीच किसी असंगति के फलस्वरूप उठा सकता है।

१५.८ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को वापस लेना

कोई कारण बताए बिना बैंक अपनी किसी ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सुविधा या किसी एक या इससे अधिक सुविधाओं को वापस लेने का हकदार होगा। पूर्वोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बैंक ऐसी सुविधा को वापस लेने के लिए हकदार होगा, यदि ;पछ ग्राहक/प्रयोक्ता खातों के संबंध में न्यूनतम अधिशेष संबंधी अपेक्षा को पूरा नहीं किया जाता है और/या ;पपछ सेवा प्रभार असंतुलित पड़े रहते हैं और/या ;पपपछ किसी अन्य कारण से या किसी कारण के बिना। बैंक पूर्व लिखित सूचना देने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सुविधा को वापस लेने का हकदार होगा तथा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वापस लेने के कारण बैंक कोई देयता वहन नहीं करेगा।

१६ विदेशी मुद्रा में लेनदेन तथा विनियम दर

चैक, ड्राफ्ट, पे आर्डर, टेलीग्राफिक अंतरण आदि के रूप में खाते से या खाते में विदेशी धनप्रेषण समेत खाते में संचालित विदेशी मुद्रा युक्त सभी लेनदेन ऐसे होंगे जो भारत में कानूनों द्वारा अनुमत हो सकते हैं तथा बैंक द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अनुसरण में होंगे। डेबिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन समेत खाते में किसी क्रेडिट या डेबिट पर विदेशी मुद्रा के परिवर्तन की दर बाजार की स्थितियों के अनुसार होगी, जो बैंक के अंतिम निर्धारण एवं निर्णय तथा ऐसे प्रभारों एवं शुल्कों के भी अधीन होगी जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

१७ विदेशी आवक धनप्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी)

बाहर से बाहर किसी खाते में किसी धन प्रेषण पर, ग्राहक को बैंक से किसी नोटिस के बिना बैंक को ऐसे प्रमाण या साक्ष्य के साथ खाते में धनप्रेषण के जमा होने के ७ (सात) दिन के अंदर इसका कारण/प्रयोजन बताना चाहिए जो बैंक द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं। ऐसा न होने पर बैंक एफआईआरसी जारी करने के लिए बाध्य नहीं है या किसी बाध्यता के बिना अपने अकेले विवेक पर धनप्रेषण के लिए ऐसे कारण/प्रयोजन के साथ एफआईआरसी जारी कर सकता है जिसे बैंक उपयुक्त समझता है।

१८ ड्राफ्ट/टीटी जारी करना

ड्राफ्ट आहरित करने हेतु एजेंट/संपर्की चुनने का अधिकार बैंक सुरक्षित रखता है।

उक्त ड्राफ्ट या नकदीकरण उस देश के नियमों एवं विनियमों के अधीन है जहां नकदीकरण किया जाना है। न तो बैंक और न ही इसके संपर्की या एजेंट किसी ऐसे नियम या विनियम द्वारा उत्पन्न नुकसान या विलंब के लिए जिम्मेदार होंगे।

यदि आवेदक बैंक से ड्राफ्ट की राशि का प्रतिदाय चाहता है, तो बैंक अपने विवेक पर सभी प्रभारों एवं खर्चों को धटाकर संगत मुद्रा के लिए विद्यमान दर से आवेदक को भुगतान करेगा।

यदि आवेदित ड्राफ्ट खो जाता है, चोरी हो जाता है, या नष्ट हो जाता है, तो आवेदक प्रतिस्थापन ड्राफ्ट या प्रतिदाय के लिए अनुरोध कर सकता है। आवेदक को पहले चाहिए कि वह गुम हो गए, चोरी हो गए या नष्ट हो गए ड्राफ्ट के संबंध में देयता से बैंक की रक्षा करने के लिए बैंक को खाताधारकों तथा ड्राफ्ट के लाभग्राही से माफी पत्र तथा ऐसे अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जिसे बैंक इस संबंध में समय-समय पर विहित करेगा।

भारत से बाहर सभी प्रभार/कमीशन लाभग्राही के खाते के लिए हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

बैंक पहले नोटिस देकर समय-समय पर प्रभारों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

१९ रिकार्डों का अनुरक्षण एवं परिरक्षण

बैंक अपने अनन्य विकल्प एवं विवेक पर, ग्राहकों द्वारा अपने खातों में किए गए लेनदेन का ऐसा रिकार्ड रखेगा जिसे बैंक उपयुक्त समझे या जो कानून द्वारा अधिदेशित हो। ग्राहक ऐसे रिकार्डों के बारे में प्रश्न करने का हकदार नहीं होगा जो बैंक द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं या जो रिकार्ड बैंक द्वारा अनुरक्षित या परिरक्षित नहीं किए जाते हैं। बैंक द्वारा रखे गए रिकार्डों तथा ग्राहक के रिकार्डों में विरोधाभास होने की स्थिति में बैंक के रिकार्ड निर्णायक एवं बाध्यकारी होंगे। ऐसे रिकार्डों के परिरक्षण की अवधि वह होगी जिसे बैंक अपने अनन्य विवेक पर उपयुक्त समझे या जो किसी सांविधिक अधिनियमन द्वारा निर्दिष्ट हो।

२० अनुदेशों का माध्यम

बैंक अपने अनन्य विवेक पर तथा टेलीफोन/फैक्स/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर बैंक द्वारा प्राप्त अनुदेशों के अनुसरण में, किन्तु किसी देयता के बिना तथा ऐसे अनुदेशों का रिकार्ड रखने की बाध्यता के बिना, खातों के बारे में सूचना प्रदान करेगा जिसमें शामिल है अधिशेष लेनदेन की सूचना, डुप्लीकेट खाता विवरण, चैक बुक, निधि अंतरण को प्रभावी करना, ग्राहक/तीसरे पक्ष के पक्ष में ड्राफ्ट/पे आर्डर बनाना एवं ग्राहक के पते पर या ग्राहक के निर्देशानुसार इसे पोस्ट/कूरियर करना तथा ग्राहक को ऐसी अन्य सेवाएं जैसे तीसरे व्यक्तियों/संस्थाओं को भुगतान, और नकद की सुपुर्दगी, ग्राहक के निर्देशानुसार, नकद/चैक/दस्तावेजों का संग्रहण, आदि। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, ग्राहक बैंक के पास उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग करके अपनी पहचान कराएगा। ग्राहक सहमत है कि ऐसी पहचान सूचना गोपनीय है तथा बैंक इसके किसी अनधिकृत प्रयोग या प्रकटन के लिए जिम्मेदार नहीं है। बैंक किसी ऐसे अनुदेश पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है जिस पर बैंक अपने अनन्य विवेक से विश्वास करता है कि यह ग्राहक से निकला है। सटीक पहचान सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को ग्राहक द्वारा अधिकृत समझा जाएगा तथा बैंक ऐसे अनुदेशों पर सदाशयता में कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो ऐसे अनधिकृत कालकर्ता से निकलता है जो ग्राहक का प्रतिनिधि होने का दावा करता है या ऐसे कालकर्ता (कर्ताओं) की पहचान का सत्यापन करने के लिए किसी ड्यूटी के अधीन नहीं होगा जो ग्राहक के नाम में आभासिक रूप में अनुदेश देता है, जब तक कि पहचान सूचना सटीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के ऊपर अनुदेशों के अनुसरण में बैंक द्वारा किए गए किसी लेनदेन के संबंध में बैंक के रिकार्डों को ग्राहक पहचानता है, वचन देता है तथा स्वीकार करने के लिए सहमत है।

फैक्स पर प्राप्त अनुदेशों के मामले में, ग्राहक द्वारा अनुरोधित लेनदेन को प्रॉसेस करने के लिए बैंक अधिकृत एवं अनुरोधित है किंतु बाध्य नहीं है। बैंक फैक्स के माध्यम से अनुदेश देने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि या सत्यापन नहीं करेगा।

फैक्स पर दिए गए अनुदेशों को ग्राहक द्वारा जारी एवं पूर्णतः अधिकृत तथा ग्राहक पर बाध्यकारी के रूप में समझने के लिए बैंक हकदार होगा। बैंक फैक्स के अनुदेशों पर भरोसा करते हुए कोई भी कदम उठाने के लिए हकदार होगा जिसे वह उपयुक्त समझेगा, इसमें चाहे जितनी राशि अंतर्ग्रस्त हो और चाहे कोई त्रुटि या पारोषण या ऐसे अनुदेश का स्वागत या कोई गलतफहमी

या अस्पष्टता हो या स्पष्टता का अभाव या जालसाजी हो। ग्राहक यह भी मानता है कि अपने रिकार्ड में ग्राहक के हस्ताक्षरों से फैंक्स पर के हस्ताक्षरों को बैंक सत्यापित नहीं करेगा और सत्यापित करने में समर्थ भी नहीं होगा।

२१ फोन बैंकिंग

खाता धारक द्वारा अब या इसके बाद दिए गए किसी लिखित स्थाई अनुदेश के अलावा, बैंक टेलीफोनिक अनुदेश (जिसे बैंक द्वारा हाथ से या किसी स्वचालित सिस्टम अनुदेश से स्वीकार किया जाएगा) प्राप्त होने पर बैंकिंग लेनदेन करने की सुविधा देगा। ऐसी टेलीफोनिक सुविधा के सिलसिले में, ग्राहक से अपेक्षा होगी कि वह बैंक को टेलीफोन पर खाता का ब्यौरा और/या बैंक की सलाह के अनुसार टेलीफोन पहचान संख्या (टिन) या ग्राहक द्वारा तदनंतर परिवर्तित कोई संख्या उपलब्ध कराए। टेलीफोनिक सुविधा ग्राहक की विभिन्न श्रेणियों के लिए समय-समय पर यथानिर्दिष्ट लेनदेन के लिए फिलहाल मौजूद या ग्राहक द्वारा इसके बाद खोले गए सभी खातों (चाहे बचत खाता, सावधि जमा, ऋण/ओवरड्राफ्ट खाता हो, या अन्यथा) को शामिल करेगी तथा सब पर लागू होगी। ऐसे अनुदेशों पर सदाशयता में काम करने के कारण बैंक को किसी भी समय जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ऐसे अनुदेशों का पालन करते हुए, बैंक सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर ऐसा कर रहा होगा तथा तत्काल कार्रवाई करने में विलंब या कोई कार्रवाई न करने या कार्रवाई करने में बैंक की असमर्थता के कारण बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बैंक अपने विवेक पर, किसी भी समय सुविधा के लिए प्रभार लगा सकता है, या सुविधा को पूर्णतः या अंशतः वापस ले सकता है या निलंबित कर सकता है। संयुक्त खाता के मामले में, बैंक दोनों/किसी एक खाताधारक के अनुदेश पर कार्रवाई कर सकता है। जहाँ बैंक के पास ऐसा विश्वास करने के लिए कारण होगा (इस मामले में बैंक का निर्णय अंतिम एवं खाताधारक पर बाध्यकारी होगा तथा किसी भी समय इसे पूछताछ या विवाद के अधीन नहीं लाया जा सकता) कि अनुदेश असली नहीं है या अन्यथा अनुचित है या अस्पष्ट है या संदेह उत्पन्न करते हैं, तो किसी ऐसे अनुदेश का पालन करने या पालन न करने का अधिकार बैंक सुरक्षित रखता है। बैंक अपने विवेक पर ऐसे अनुदेश को टेप या रिकार्ड कर सकता है तथा किसी कार्यवाही में ऐसे टेलीफोनिक अनुदेशों की प्रतिलिपि पर भरोसा कर सकता है। ग्राहक द्वारा अनुदेश दिए जाने पर, बैंक फैंक्स/कूरियर/मेल से (ग्राहक द्वारा दिए गए फैंक्स नंबर/पते पर) ग्राहक के सभी खातों के संबंध में वित्तीय सूचना (ग्राहक द्वारा मांगी गई) भेज सकता है जो निजी या गोपनीय स्वरूप की हो सकती है तथा यदि ऐसी सूचना किसी तीसरे पक्ष की जानकारी में आ जाती है, तो बैंक को किसी भी ढंग से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि किसी खाते में ग्राहक द्वारा संपन्न किए गए किसी लेनदेन के विवरण पर ब्यौरे में कोई विसंगति होती है, तो बैंक की सलाह प्राप्त होने के १० दिन के अंदर या आवधिक लेखा विवरण देय होने की तारीख से १० दिन के अंदर, जो भी पहले हो, ग्राहक लिखित में बैंक को संगत विसंगति की सूचना अवश्य दे, ऐसा न करने पर लेनदेन को सही तथा हर दृष्टि से खाताधारक द्वारा स्वीकृत समझा जाएगा।

यह विचार करते हुए कि बैंक उक्त सुविधा प्रदान कर रहा है, बैंक ऐसी सभी कार्रवाइयों, दावों, वादों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, लागतों, प्रभारों तथा व्ययों के विरुद्ध तथा से हर तरह के नुकसान से प्रतिपूर्ति प्राप्त है जिसे बैंक किसी भी समय उठा सकता है, भुगत सकता है, जेल सकता है या बैंक द्वारा उक्त सुविधा प्रदान करने के फलस्वरूप या कारण से या इससे उत्पन्न के रूप में या ग्राहक के अनुदेश पर कोई कदम उठाने या उठाने से सदाशयता में इंकार करने या उठाने से चूक जाने के कारण बैंक के विरुद्ध प्रस्तुत या दायर या उठाया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक किसी ऐसे नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो किसी व्यक्ति की जालसाजी, मिथ्या निरूपण, या किसी अन्य कृत्य के कारण ग्राहक द्वारा उस समय उठाया जाता है (व्यक्तिगत या कानून में संस्था के रूप में), जब ग्राहक यह सुविधा प्राप्त कर रहा होता है। फोन बैंकिंग सुविधा के लिए आवेदन करते समय, ग्राहक प्रमाणित करता है कि संबंध रिकार्ड में प्रस्तुत ब्यौरा समेत सभी ब्यौरे सही हैं।

२२ पुरस्कार/प्रोत्साहन योजनाएं/कार्यक्रम, मूल्य संवर्धित सेवाएं

बैंक समय-समय पर, बैंक और/या मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करने/पेशकश करने वाले पक्षों द्वारा ऐसी प्रत्येक पुरस्कार/प्रोत्साहन योजना/कार्यक्रम और/या मूल्य संवर्धित सेवा के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित शर्तों पर, अपने ग्राहकों या ग्राहकों की कतिपय निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए स्वयं या तीसरे पक्षों के माध्यम से पुरस्कार/प्रोत्साहन योजनाएं/कार्यक्रम ला सकता है और मूल्य संवर्धित सेवाओं की पेशकश/व्यवस्था कर सकता है। तथापि बैंक के पास ऐसी पुरस्कार/प्रोत्साहन योजनाओं/कार्यक्रमों और/या किसी या सभी मूल्य संवर्धित सेवाओं को वापस लेने, संशोधित करने, परिवर्तित करने, वृद्धि करने, निलंबित करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, बैंक किसी मूल्य संवर्धित सेवा, ऐसी गतिविधि न होने के कारण जिन्हें कानून की परिभाषा के अनुसार सख्त मायने में बैंकिंग कहा जा सकता है, इसकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता, मूल्य आदि या किसी भी ढंग से पुरस्कार/प्रोत्साहन अंक के उन्मोचन के लिए उत्तरदायी या देनदार नहीं होगा।

२३ दहलीज बैंकिंग

बैंक दहलीज बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा:

एक निर्दिष्ट सीमा तक खाताधारक द्वारा चुने गए स्थान पर खाताधारक को नकद की सुपुर्दगी (व्यष्टियों के लिए) तथा बैंक के सिस्टम पर उल्लिखित पते पर (गैर-व्यष्टियों के लिए)।

खाताधारक के पास खाते में जमा करने के लिए एक निर्दिष्ट सीमा तक खाताधारक द्वारा चुने गए स्थान से (व्यष्टियों के लिए) तथा (गैर-व्यष्टियों के लिए) हमारे सिस्टम पर उल्लिखित पते से नकद उठाना।

खाताधारक के खाते में जमा करने के लिए खाताधारक द्वारा चुने गए स्थान से बैंक, डिमांड ड्राफ्ट, पे आर्डर एवं अन्य लिखत उठाना।

खाताधारक के पते पर डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर की सुपुर्दगी।

बैंक द्वारा लगाए गए बैंक संग्रहण बाक्स का प्रयोग खाताधारक द्वारा अपने बचत/चालू/२ इन 9 खातों में जमा करने के लिए अपना रेखांकित बैंक, डिमांड ड्राफ्ट तथा ऐसा अन्य लिखत जमा करने के लिए किया जा सकता है।

ऊपर खण्ड (क) से (ड.) में उल्लिखित सुविधाएं बैंक द्वार फोन बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। तथापि, ऐसे खातों के मामले में फोन बैंकिंग उपलब्ध नहीं होगी जहाँ प्रचालन अनुदेश ऐसे हैं कि खाता का प्रचालन दो या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से होगा। सुपुर्दगी एवं पिकअप की सुविधाएं केवल उन्हीं क्षेत्रों में उपलब्ध होंगी जिन्हें बैंक समय-समय पर इस संबंध में निर्धारित करेगा। खाताधारक इन खाता नियमों तथा बैंक की फोन बैंकिंग नियमावली तथा फोन बैंकिंग नियमावली के सेवा प्रभागों तथा बैंक के सेवा प्रभागों (अपने अनन्य विवेक पर बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित) द्वारा बंधा होगा।

२३.१ लेनदेन के लिए प्रमाण एवं साक्ष्य

ग्राहक बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित लागू प्रभार अनुसूची के अनुसार दहलीज बैंकिंग विकल्प के माध्यम से प्रभावी किए गए सभी आहरणों/लेनदेन के लिए प्रभार का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। ग्राहक बैंक को ग्राहक के खाते से प्रभारों को डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है जिसके लिए ग्राहक को पहले सूचित करते हुए विवरण जारी किया जाता है। ग्राहक सुनिश्चित करेगा कि प्रभारों के उक्त डेबिट का सम्मान करने के लिए खाते में पर्याप्त अधिशेष हो। ग्राहक ऐसे डेबिट के परिणामस्वरूप खाते में अधिशेष धटने के कारण किसी अन्य भुगतान लिखत/अनुदेश की किसी वापसी/डिसआनर के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। उपर्युक्त सेवाओं से उत्पन्न लेनदेन से संबंधित बैंक का रिकार्ड खाताधारकों पर बाध्यकारी होगा तथा किसी भी कारण से ग्राहक इन पर विवाद नहीं करेगा।

२३.२ नकद लेनदेन

खाताधारक को बैंक द्वारा अधिकतम राशि के रूप में लिखित में निर्दिष्ट राशि तक प्रतिदिन नकद आहरित करने की अनुमति होगी। खाताधारक को सूचित किए बिना समय-समय पर अपने अनन्य विवेक पर अधिकतम राशि को परिवर्तित करने के लिए बैंक हकदार होगा। कार्य धट्टों के समाप्त हो जाने के बाद किए गए सभी नकद लेनदेन का खाताधारक के खाते में खतियान किया जाएगा तथा मूल्य तिथि खाताधारक द्वारा अनुरोध करने की तिथि होगी।

२३.३ बैंक/नकद जमा

सभी बैंक/नकद जमा एवं खाता में क्रेडिट बैंक द्वारा सत्यापन/वसूली के अधीन होंगे तथा खाताधारक (धारकों) को आपूर्त बैंक विवरण में प्रतिबिंबित यह सत्यापित/वसूली गई राशि उनपर बाध्यकारी होगी।

२३.४ सामान्य

बैंक अपने अनन्य विवेक पर, दहलीज बैंकिंग की सेवाएं प्राप्त करते समय खाताधारक से पर्याप्त पहचान (अपने विवेक पर बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित) प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। यदि बैंक की राय में ऐसी पहचान प्रक्रिया में कोई संदेह मौजूद होगा, तो बैंक अनुरोध को मानने से मना कर देगा; तथा इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा तथा किसी भी आधार पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता।

बैंक अपने अनन्य एवं परम विवेक पर खाताधारक (धारकों) को सूचित करते हुए तथा कोई कारण बताए बिना दहलीज बैंकिंग के अंतर्गत किसी सुविधा को निरस्त/निलंबित और/या विस्तृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने परम विवेक से समय-समय पर शर्तों में संशोधन कर सकता है तथा ऐसी संशोधित शर्तें खाताधारक (धारकों) पर बाध्यकारी होंगी।

सभी आहरण (पे आर्डर एवं डिमांड ड्राफ्ट के लिए अनुरोध समेत) संबंधित खाते में पर्याप्त अधिशेष की उपलब्धता के अधीन होंगे। तथापि, किसी एटीएम लेनदेन के कारण किसी खाता के ओवरड्रॉन होने की स्थिति में, कोई पूर्व सूचना दिए बिना ऐसी ओवरड्रॉन राशि के विरुद्ध बैंक के पास खाताधारक के किसी खाता, जमा राशि में पड़े किसी क्रेडिट से प्रतितुलन करने का अधिकार बैंक सुरक्षित रखता है।

बैंक खाताधारक से भिन्न किसी व्यक्ति को नकद/ड्राफ्ट/पे आर्डर सौंपने से मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही खाताधारक की ऐसी इच्छा हो।

सभी खातों/जमा राशियों/ एटीएम पर लागू नियम तथा फोन बैंकिंग पर लागू नियम, जिनका ब्यौरा बैंक के विद्यमान खाता नियमावली में दिया गया है, दहलीज बैंकिंग (लाजिस्टिक्स) पर लागू होंगे। बैंक बुक की अभिरक्षा एवं सुरक्षा पर लागू नियम भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।

बैंक संग्रहण बाक्स में नकद और/या वाहक बैंक जमा नहीं किए जाएंगे। यदि ऐसा किया गया, तो यह विशुद्धतः एवं पूर्णतः खाताधारक के जोखिम पर होगा।

यह विचार करते हुए कि बैंक उक्त सुविधा प्रदान कर रहा है, बैंक ऐसी सभी कार्रवाइयों, दावों, वादों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, लागतों, प्रभारों तथा व्ययों के विरुद्ध तथा से हर तरह के नुकसान से प्रतिपूर्ति प्राप्त है जिसे बैंक किसी भी समय उठा सकता है, भुगत सकता है, झेल सकता है या बैंक द्वारा उक्त सुविधा प्रदान करने के फलस्वरूप या कारण से या इसके उत्पन्न के रूप में या ग्राहक के अनुदेश पर कोई कदम उठाने या उठाने से सदाशयता में इंकार करने या उठाने से चूक जाने के कारण बैंक के विरुद्ध प्रस्तुत या दायर या उठाया जा सकता है।

२४ ई-स्टेटमेंट

ग्राहक से लिखित में या ई-स्टेटमेंट भेजने के लिए ईमेल पता निर्दिष्ट करते हुए इंटरनेट के माध्यम से अनुरोध प्राप्त होने पर बैंक ईमेल से ग्राहक को खाता विवरण ("ई-स्टेटमेंट") भेजेगा।

ई-स्टेटमेंट का अनुरोध करने वाला ग्राहक बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निम्नलिखित शर्तों से बंधा होगा।

ई-स्टेटमेंट ग्राहक द्वारा अपने लिखित अनुरोध में प्रदान किए गए ईमेल पते पर भेजा जाएगा।

ग्राहक स्वयं द्वारा प्रस्तुत अपने ईमेल पता या किसी अन्य संपर्क सूचना में किसी परिवर्तन के बारे में बैंक के कस्टमर केयर के नीचे दिए गए पते पर लिखित में बैंक को सूचित करने का वचन देता है। ग्राहक सहमत है कि परिवर्तन के लिए ग्राहक का लिखित अनुरोध प्राप्त होने के बाद दो कार्य दिवस बाद ही बैंक अपने रिकार्डों को अपडेट करेगा।

यदि ग्राहक नेट बैंकिंग कस्टमर है, तो ग्राहक भी इंटरनेट पर परिवर्तित ईमेल पते को अपडेट कर सकता है।

ग्राहक समझता है कि ई-स्टेटमेंट ईमेल के जरिए भेजा जाएगा जिसके विषय के रूप में "दिन-माह-वर्ष के लिए आपका बैंकिंग खाता ई-स्टेटमेंट" लिखा होगा।

ग्राहक समझता है कि यह जानने के लिए ई-स्टेटमेंट किस खाते से संबंधित है, ईमेल में ग्राहक की खाता संख्या के 99 (ग्यारह) अंकों में से आखिरी 8 (चार) अंकों का भी उल्लेख किया जाएगा।

ई-स्टेटमेंट ईमेल में अटैचमेंट के रूप में होगा। ग्राहक की सुरक्षा के लिए, यह अटैचमेंट पासवर्ड द्वारा सुरक्षित होगा। जब ग्राहक अटैचमेंट खोलने का प्रयास करेगा, तो उससे पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड ग्राहक की उस खाता संख्या का संपूर्ण 99 (ग्यारह) अंक है जिसके लिए ई-स्टेटमेंट भेजा जा रहा है।

हालांकि ग्राहक की निजता एवं सुरक्षा के लिए बैंक ई-स्टेटमेंट में ग्राहक के पते को छिपाता है तथा ग्राहक की खाता संख्या को अंशतः छिपाता है, ग्राहक अपने ईमेल और/या अपने ईमेल भण्डारण स्थान की निष्ठा की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा। भेजे जा रहे ई-स्टेटमेंट में निहित सूचना तक किसी अनधिकृत पहुंच के लिए बैंक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

अगर ईमेल का पता गलत होने के कारण बैंक का वह ईमेल सुपुर्द नहीं होता है जिसमें ई-स्टेटमेंट संलग्न है, तो बैंक ग्राहक के ई-स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन को विपरीत करेगा।

ग्राहक समझता है कि अटैचमेंट को कॉम्प्रेस करने एवं एनक्रिप्ट करने के लिए बैंक विनजिप का प्रयोग करता है। यदि ग्राहक के पीसी पर विनजिप या अन्य संगत कॉम्प्रेशन सुविधाएं नहीं होंगी, तो ग्राहक यह अप्लीकेशन इंजिचरूड्रूपड्रपचणवउ से डाउनलोड कर सकता है।

ई-स्टेटमेंट प्रेषित करते समय बैंक यथेष्ट सावधानी बरतता है तथा ग्राहक ई-स्टेटमेंट समेत बैंक के सभी ईमेल में/से वायरस/दुष्ट अटैचमेंट रोकने के लिए उद्योग की सर्वोत्तम प्रथा के अनुरूप पर्याप्त एहतियात बरतता है। किन्तु ईमेल को इंटरनेट पर त्रुटियों, वायरस, विलंब, व्यवधान एवं संशोधन का सामना करना पड़ सकता है।

ग्राहक सहमत है कि ई-स्टेटमेंट लेनदेन का तथा उसमें उल्लिखित राशि की सटीकता का निर्णायक प्रमाण होगा तथा ग्राहक पर बाध्यकारी होगा जब तक कि ई-स्टेटमेंट की तारीख से 29 दिन के अंदर बैंक को इसमें त्रुटि की सूचना न दी जाए।

ग्राहक समझता है कि खाता का विवरण भेजने का यह माध्यम ग्राहक की सुविधा के लिए है।

उपर्युक्त ईमेल पते पर ईमेल से सूचना/लेखा विवरण भेजने के कारण किसी भी ढंग से गोपनीयता या निजता के किसी उल्लंघन के लिए बैंक जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि उपर्युक्त सूचना सही न होने के कारण मैं लेखा विवरण प्राप्त नहीं कर पाता हूँ, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

२५ इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)

जब आप ईसीएस का विकल्प चुनें, तो कृपया एक आदेशपत्र भरें। यह फार्म शाखाओं में तथा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है या फोन बैंकिंग के हमारे नंबरों पर फोन करके यह मंगाया जा सकता है।

आप द्वारा जमा किया गया ईसीएस आदेशपत्र ऐसा अनुदेश प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 95 दिन के अंदर रिकार्ड किया जाएगा।

यदि आप अपने आदेश पत्र को निरस्त करना चाहते हैं, तो निरसन आदेश पत्र शाखाओं में तथा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है या फोन बैंकिंग के हमारे नंबरों पर फोन करके यह मंगाया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि निरसन को तब प्रभावी किया जाएगा जब इसीएस समाशोधन प्रणाली को ईसीएस डेबिट फाइल प्रस्तुत करने से 95 दिन पूर्व अनुदेश प्रस्तुत किया जाएगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि प्रयोक्ता संस्था को अनुदेश भेजें ताकि आगे ईसीएस डेबिट फाइल में अनुदेश शामिल न किया जाए। आपके खाते में किसी त्रुटिपूर्ण डेबिट की स्थिति में हम अपनी क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार आपको क्षतिपूर्ति करेंगे।

२६ मोबाइल बैंकिंग एवं अलर्ट

इसके लिए कर, अदा की जा रही राशि से काटा जाएगा।

"अलर्ट" का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ग्राहक को भेजा गया संदेश है जो ग्राहक के खाता, सेवाओं या अन्यथा के संबंध में कतिपय घटनाएं घटित होने से उत्पन्न होता है।

"अलर्ट सुविधा" का मतलब अलर्ट भेजने की बैंक द्वारा प्रदत्त सुविधा से होगा।

"मोबाइल बैंकिंग सुविधा" का मतलब मोबाइल फोन का प्रयोग करके खाता सूचना एवं लेनदेन अधिकार तक पहुंच से होगा।

"अलर्ट घटनाएं" का मतलब बैंक द्वारा समय-समय पर अभिचिह्नित घटनाओं से होगा, जो अलर्ट उत्पन्न करेंगे। ये घटनाएं ग्राहक के खाता, बैंक की सेवाओं/योजनाओं या अन्यथा के संबंध में हो सकती हैं।

"संदेश" का मतलब अलर्ट पर प्रदान की गई सूचनाओं से है।

२६.१ पात्रता

बैंक अपने अनन्य विवेक पर, कोई कारण बताए बिना अपने किसी या सभी ग्राहकों को अपनी कोई या सभी सुविधाओं की पेशकश कर सकता है।

२६.२ ग्राहक की जिम्मेदारी

ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल फोन नंबर और/या ईमेल आईडी पर बैंक अलर्ट/खाता सूचना भेजेगा। ग्राहक अपने मोबाइल फोन एवं ईमेल आईडी की सुरक्षा के लिए अनन्य रूप से जिम्मेदार होगा। यदि वह उपर्युक्त का पालन नहीं कर पाता है, तो ग्राहक परिणामों के लिए अनन्य रूप से जिम्मेदार होगा। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए ग्राहक को अपना मोबाइल फोन एवं ईमेल आईडी अवश्य चालू रखना होगा। ग्राहक स्वीकार करता है कि ईमेल/मोबाइल फोन से सूचना भेजना सुरक्षित माध्यम नहीं है तथा ग्राहक इसमें शामिल जोखिमों से अवगत है। ग्राहक यह भी स्वीकार करता है कि अपनी सुविधा के लिए तथा अंतर्निहित जोखिमों से पूर्णतः अवगत होने तथा उन पर पूरी तरह विचार करने के उपरांत ग्राहक ने ऐसे अनुदेशों पर भरोसा करने एवं कार्रवाई करने के लिए बैंक से अनुरोध किया है तथा अधिकृत किया है जो समय-समय पर ईमेल/मोबाइल फोन से दिए जा सकते हैं।

ग्राहक जरूरत पड़ने पर सटीक सूचना प्रदान करने का वचन देता है तथा हर समय बैंक को प्रदत्त सूचना की सटीकता के लिए जिम्मेदार होगा। ग्राहक द्वारा प्रदान की गई त्रुटिपूर्ण सूचना से उत्पन्न परिणामों के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। यदि ग्राहक को संदेह होता है कि उसके द्वारा बैंक को प्रदान की गई सूचना में त्रुटि है, तो वह यथाशीघ्र बैंक को सलाह देगा। बैंक सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर संभव होने पर त्रुटि सुधार कर प्रयास करेगा। ग्राहक अपने मोबाइल फोन नंबर और/या ईमेल आईडी में किसी परिवर्तन की सूचना बैंक को देने के लिए उत्तरदायी होगा जिस पर वह अलर्ट/मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना चाहता है।

खातों पर लेनदेन विद्यमान प्रचलित बैंकिंग प्रथा तथा खातों एवं सेवाओं के लिए यथा लागू शर्तों एवं नियमों द्वारा अभिशासित होता रहेगा। इसके अलावा, फोन बैंकिंग एवं नेट बैंकिंग सेवाओं पर यथा लागू शर्तें यथा लागू सीमा तक मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा पर लागू होंगी।

ग्राहक बैंक द्वारा यथानिर्णीत अपनी पात्रता के अनुसार मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है, तथा ऐसी धटनाओं को निर्दिष्ट कर सकता है, जो समय-समय पर बैंक द्वारा अधिसूचित माध्यमों से अलर्ट उत्पन्न करेंगी। बैंक के पास कोई कारण बताए बिना किसी व्यक्ति के आवेदन को नामंजूर करने का अधिकार होगा।

२६.३ दायित्व की सीमा

ग्राहक सहमत है और स्वीकार करता है कि बैंक किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा प्रदान करेगा। बैंक अपने विवेक पर किसी नोटिस के बिना अस्थायी या स्थाई रूप में सुविधा बंद करने का निर्णय ले सकता है।

बैंक सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा तथा ग्राहक बैंक द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाताओं, यदि कोई हो, द्वारा मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा की अनुपलब्धता या काम न करने या मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा के प्रयोग (जिसमें अपने वाणिज्यिक, निवेश या कारोबार के प्रयोजनार्थ ग्राहक द्वारा मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट के माध्यम से प्राप्त सूचना पर भरोसा करना शामिल है लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है) के फलस्वरूप ग्राहक को हुए किसी नुकसान या क्षति के लिए और ऐसे अन्य कारणों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा जिनका जिम्मेदार बैंक नहीं हो सकता। बैंक मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा के सिलसिले में किसी भी ढंग से ग्राहक के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक सभी तर्कसंगत प्रयास करेगा कि ग्राहक की सूचना को गोपनीय रखा जाए। मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा के माध्यम से भेजी गई सूचना की गोपनीयता, निजता एवं सुरक्षा के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। सुविधा की उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए बैंक ग्राहक या तीसरे पक्ष से संबंधित कोई सूचना या ब्यौरा प्रदान कर सकता है।

बैंक मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभार लगा सकता है तथा अपने विवेक पर इसमें समय-समय पर संशोधन कर सकता है।

२६.४ रिकार्ड

मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट सुविधा के संबंध में बैंक के पास उपलब्ध रिकार्ड निर्णायक एवं ग्राहक पर बाध्यकारी होंगे। मोबाइल बैंकिंग/अलर्ट का ब्यौरा रिकार्ड करने का प्राधिकार एतद्द्वारा स्पष्ट रूप में ग्राहक द्वारा बैंक को प्रदान किया जाता है।

२६.५ संयुक्त खातों के लिए सेवा का निरसन

मोबाइल बैंकिंग एवं अलर्ट सुविधा की सेवाएं तभी निरस्त की जाएंगी जब सभी खाताधारकों से लिखित अनुरोध प्राप्त होगा, प्रचालन का तरीका जो भी हो।